[2021] 15 एस. सी. आर 1079

PHOENIX ARC प्राइवेट लिमिटेड

बनाम

क्षेत्रीय वित्तीय सेवाएं सीमित और ओ. आर. एस.

(2020 की सिविल अपील संख्या 2842)

फरवरी 1,2021

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़,इंदू मल्होत्रा और इंद्रा बनर्जी, जे. जे.]

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016। 5 (7) , (8) वित्तीय लेनदार; वित्तीय ऋण-धोखाधड़ी/सांठगांठ वाले लेनदेन, यदि वित्तीय ऋण-आयोजित किए गए: किसी व्यक्ति को वित्तीय लेनदार के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है यदि उस पर वित्तीय ऋण बकाया है - धारा 5 (8) में कहा गया है कि वित्तीय ऋण का आवश्यक घटक ऋण के विरुद्ध संवितरण है।

धन के समय मूल्य के लिए विचार-ऋण के रूप में अग्रिम धन उधारकर्ता की प्राप्ति में होना चाहिए-उधारकर्ता धन या उसके समकक्ष राशि को प्रतिफल के साथ वापस करने के लिए बाध्य है।

धन के एक समय मूल्य के लिए, जो उस अवधि के लिए देय क्षतिपूर्ति या मूल्य है जिसके लिए धन उधार दिया जाता है-एक ऐसा लेन-देन जो नकली या सांठगांठ वाला हो, केवल एक भ्रम पैदा करेगा कि धन उधारकर्ता को धन के समय मूल्य के रूप में प्रतिफल प्राप्त करने के उद्देश्य से वितरित किया गया है, जब वास्तव में पक्षों ने एक अलग या एक गुप्त उद्देश्य के साथ लेनदेन किया है-पक्षों के बीच वास्तविक समझौता एक वित्तीय ऋण को आगे बढ़ाने के अलावा कुछ और है-वर्तमान मामले में, एएए और कॉर्पोरेट देनदार के बीच लेनदेन प्रकृति में मिली-जुली थी क्योंकि ऋणकर्ता को धन के समय मूल्य के रूप में धन प्राप्त करने के उद्देश्य से धन वितरित किया गया है।

स्पेड और एएए, और कॉर्पोरेट देनदार प्रकृति में मिलीजुली थे, वे एक वित्तीय ऋण का गठन नहीं करेंगे '-इसलिए, स्पेड और एएए कॉर्पोरेट देनदार के वित्तीय लेनदार नहीं हैं-एनसीएलएटी का निर्णय, जितना कि उसने स्पेड और एएए को वित्तीय लेनदारों के रूप में संदर्भित किया है, उनकी मिलीजुली प्रकृति के कारण अलग कर दिया गया है।

वित्तीय ऋण के रूप में कथित लेन-देन धारा 5 (8), स्पेड और एएए को वित्तीय लेनदारों के रूप में लेबल नहीं किया जा सकता है। एस. 5 (7)-निर्णय में जितना उसने स्पेड और एएए को निगमित देनदार यू/के संबंधित पक्षों के रूप में संदर्भित किया है। एस. 5 (24) और एस. के पहले परंतुक के अनुसार सी. ओ. सी. से स्पेड और ए. ए. ए. को बाहर रखा। 21 (2) , पुष्टि की जाती है।

न्यायपालिका-दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया आदेश। 31 मई 2018

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एन. सी. एल. टी. ने ए. ए. ए. और स्पेड को वित्तीय लेनदारों के रूप में अपने दावे प्रस्तुत करने की अनुमति दी-हालाँकि, जब एन. सी. एल. टी. ने ए. ए. ए. और स्पेड को वित्तीय लेनदारों के रूप में अपने दावे फिर से प्रस्तुत करने की अनुमति दी, तो लेनदारों की समिति (सी. ओ. सी.) में किसी भी लेनदार का प्रतिनिधित्व नहीं किया गया।

कार्यवाही-फीनिक्स और यस बैंक ने सी. ओ. सी. से ए. ए. ए. और स्पेड को इस आधार पर बाहर करने की मांग के लिए आवेदन दायर किए कि वे संबंधित पक्ष थे-एन. सी. एल. टी. का आदेश यदि रेज़ जुडिकाटा के रूप में संचालित किया जाता है-आयोजितः एन. सी. एल. टी. डी. का आदेश 31 मई 2018 ने काम नहीं किया

फीनिक्स और यस बैंक जैसे वित्तीय लेनदारों को सुने बिना आदेश पारित किया गया था, इसलिए, यदि वे उस आदेश की शर्तों से व्यथित थे, तो वे सी. ओ. सी. से ए. ए. और स्पेड को बाहर करने के लिए निर्देश की मांग करने में वैध रूप से अपने अधिकारों के भीतर थे।

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016। 43 , 45 (2) , 49 , 50 - " टालने योग्य लेन-देन "-आयोजितः आईबीसी ने प्रावधान किए हैं

"टालने योग्य लेन-देन" की पहचान करने, रद्द करने या उपेक्षा करने के लिए

निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया (सी. आई. आर. पी.) की शुरुआत की स्थिति में किन संकटग्रस्त कंपनियों ने लेनदारों की वसूली में बाधा डालने का बीड़ा उठाया होगा-आई. बी. सी. मानता है कि दिवाला व्यवस्था की सफलता के लिए लेनदेन की वास्तविक प्रकृति का पता लगाना होगा ताकि किसी भी व्यक्ति को ऋण लेने से रोका जा सके। वैध लेनदारों के अधिकारों के नुकसान के लिए इसके प्रावधानों का अनुचित लाभ।

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 - धारा 5 (24) 'संबंधित पक्ष'-आयोजितः एस में 'संबंधित पार्टी' अभिव्यक्ति की परिभाषा। 5 (24) संपूर्ण है-परिभाषा एक परिवर्तनीय संबंध का वर्णन करती है।

आई. बी. सी. के तहत 'संबंधित पक्ष' की परिभाषा काफी व्यापक है-इस तरह की व्यापक परिभाषा को अपनाने में विधायिका का इरादा वित्तीय लेनदार और कॉर्पोरेट देनदार के बीच सभी प्रकार के अंतर-संबंधों को पकड़ना था।

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016-एस. 21 (2) , धारा 5 (24)-धारा 5 के पहले परंतुक के तहत बहिष्करण। 21 (2) – आवेदन-आयोजितः जबकि एस के लिए पहले परंतुक के तहत डिफ़ॉल्ट नियम। 21 (2) यह है कि केवल वे वित्तीय लेनदार जो प्रेजेंटी में संबंधित पक्ष हैं, उन्हें सी. ओ. सी., उन संबंधित पक्ष से वंचित कर दिया जाएगा।

वित्तीय लेनदार जो एस के पहले परंतुक के तहत बहिष्करण को दरकिनार करने के लिए संबंधित पक्ष होना बंद कर देते हैं। 21 (2) , इसे PHOENIX ARC PRIVATE LIMITED v के तहत अपवर्जन के दायरे में भी माना जाना चाहिए।

क्षेत्रीय वित्तीय सेवाएं सीमित और ओ. आर. एस.

वर्तमान मामले में, एक निष्कर्ष है कि एएए और स्पेड एस के अर्थ के भीतर संबंधित पक्ष थे। 5 (24) उस समय जब कथित वित्तीय ऋण, जिसके आधार पर वे सी. ओ. सी. का हिस्सा होने का दावा करते हैं, बनाया गया था-एक ओर स्पेड और ए. ए. ए. और दूसरी ओर कॉर्पोरेट देनदार के बीच लेनदेन, जिसने उनके कथित वित्तीय ऋणों को जन्म दिया, में सांठगांठ थी।

प्रकृति के बीच एक गहरा उलझा हुआ संबंध था

स्पेड, एएए और कॉर्पोरेट देनदार, जब कथित वित्तीय ऋण उत्पन्न हुआ-जबकि संबंधित पक्षों के रूप में उनकी स्थिति अब नहीं रह सकती है, यह वाणिज्यिक साजिशों के कारण था जिसके माध्यम से ये संस्थाएं अब सीओसी में प्रवेश करना चाहती हैं-इन संस्थाओं पर कॉर्पोरेट देनदार के प्रवर्तक/निदेशक का व्यापक प्रभाव स्पष्ट है, और उन्हें सीओसी में अनुमति देने से निश्चित रूप से दूसरे को प्रभावित करेगा।

स्वतंत्र वित्तीय लेनदार। दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016-एस. 21 (2) - अधिनियमन का उद्देश्य और उद्देश्य-प्रथम में संशोधन

एस के लिए प्रावधान। 21 (2) – कारण-चर्चा की गई।

शब्द और वाक्यांश "वितरण", "धन का समय मूल्य"

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 का अर्थ-चर्चा की गई

- एस. 5 (8)।

अपीलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 एन. सी. एल. टी. का 31 मई 2018 का आदेश न्यायिक आधार पर कार्य नहीं करता था। यह आदेश फीनिक्स और यस बैंक जैसे वित्तीय लेनदारों को सुने बिना पारित किया गया था। इसलिए, यदि वे उस आदेश की शर्तों से व्यथित थे, तो वे सी. ओ. सी. से ए. ए. ए. लैंडमार्क प्राइवेट लिमिटेड (ए. ए. ए.) और स्पेड फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (स्पेड) को बाहर करने के लिए निर्देश की

मांग करने में वैध रूप से अपने अधिकारों के भीतर थे। पहले का आदेश उन्हें सुनवाई का अवसर दिए बिना पारित किया गया था। [पैरा 31] [1103-एफ; 1104-ए-बी]

1.2 यह तर्क कि स्पेड की पात्रता का मुद्दा

और ए. ए. ए. को वित्तीय लेनदारों के रूप में कभी नहीं उठाया गया था जब तक कि एन. सी. एल. टी. रिकॉर्ड पर प्रस्तुत सामग्री के विपरीत न हो। एन. सी. एल. टी. का 19 जुलाई 2019 का आदेश पक्षों के बीच लेन-देन की वास्तविक प्रकृति पर बहस के बाद पारित किया गया था। [पैरा 32] [1104 बी; 1104-डी-ई] [2021] 15 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

1.3 धारा 21 की उप-धारा (2) में कहा गया है कि सी. ओ. सी. में निगमित देनदार के सभी वित्तीय लेनदार शामिल होंगे। द.

उप-धारा (2) के पहले परंतुक को 2018 के अधिनियम 26 द्वारा 6 जून 2018 से संशोधित किया गया है। यह मानते हुए कि एएए और स्पेड वित्तीय लेनदार नहीं हैं, एनसीएलटी इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि वे सीओसी में शामिल होने के हकदार नहीं थे। द.

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण का विचार था कि उसके लिए यह विचार करना वास्तव में आवश्यक नहीं था कि संदर्भ के साथ तारीख क्या होनी चाहिए।

जिसके लिए एक संबंधित पक्ष निर्धारित किया जाना चाहिए। लेकिन यह स्पष्ट है कि एन. सी. एल. टी. इस निष्कर्ष पर पहुंची कि श्री अरुण आनंद और उनकी विभिन्न कंपनियाँ अर्थात् ए. ए. ए. और स्पेड कॉर्पोरेट देनदार से संबंधित पक्षकार थे, हालांकि 2013 के बाद श्री अरुण आनंद ने कहा कि श्री अरुण आनंद और उनकी विभिन्न कंपनियाँ कॉर्पोरेट देनदार से संबंधित पक्षकार थीं।

अनिल नंदा समूह की सभी कंपनियों से इस्तीफा दे दिया। न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने पाया कि वे अब सी. आई. आर. पी. की शुरुआत के लिए आवेदन दाखिल करने के समय कॉर्पोरेट देनदार से संबंधित नहीं हैं। इसने गहरी उलझाव को नोट किया

निगमित देनदार और अरुण आनंद समूह की कंपनियों के मामले, अतीत के घनिष्ठ व्यावसायिक संबंध और यह तथ्य कि निगमित देनदार के खातों को 2016 से अंतिम रूप नहीं दिया गया था, ऑडिट नहीं किया गया था या कंपनियों के पंजीयक के पास दाखिल नहीं किया गया था। एन. सी. एल. टी. के आदेश को पढ़ते हुए, यस बैंक द्वारा दायर आवेदनों को स्वीकार करना संभव नहीं है।

और फीनिक्स को केवल इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया था कि वे वित्तीय लेनदार नहीं थे और इस संबंध में कोई दृढ़ संकल्प नहीं था संबंधित पक्षों के रूप में उनकी स्थिति के लिए। उपरोक्त चर्चा के आलोक में, यह निवेदन कि एन. सी. एल. ए. टी. ने अपने अधिकार क्षेत्र को पार कर लिया है

के निर्धारण से संबंधित दूसरे मुद्दे पर विचार करना

एएए और स्पेड की स्थिति संबंधित पक्षों के रूप में सहमत नहीं है। इस प्रकार, मामले को एन. सी. एल. ए. टी. को भेजने का कोई कारण नहीं है।

पुनर्विचार। रिमांड का आदेश नियमित तरीके से पारित नहीं किया जा सकता है, और इसे केवल तभी पारित किया जाना चाहिए जब फिर से विचार करने की आवश्यकता हो। रिमांड का अनुचित आदेश न्याय के उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता है और केवल मुकदमेबाजी के जीवन को बढ़ाता है।

[पारस 38,39] [1108-ए-सी; 1108-सी-जी]

2. आई. बी. सी. की धारा 5 (7) के तहत, किसी व्यक्ति को वित्तीय लेनदार के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है यदि उस पर वित्तीय ऋण बकाया है।

आई. बी. सी. की धारा 5 (8) में कहा गया है कि वित्तीय ऋण का आवश्यक घटक धन के समय मूल्य के लिए विचार के विरुद्ध संवितरण है।

[पैरा 43] [1110-ई-एफ] फीनिक्स एआरसी प्राइवेट लिमिटेड वी। क्षेत्रीय वित्तीय सेवाएं सीमित और ओ. आर. एस.

स्विस रिबन प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड वी. भारत संघ (2019) 4 एससीसी 17: [2019] 3 एस. सी. आर. 535; अग्रणी शहरी भूमि और

इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड बनाम भारत संघ (2019) 8 एस. सी. सी. 416

: [2019] 10 एस. सी. आर. 381 पर भरोसा किया।

3. मिली-जुली लेन-देन

धन के एक समय मूल्य के लिए विचार के साथ समतुल्य, जो उस अवधि के लिए देय मुआवजा या मूल्य है जिसके लिए धन उधार दिया जाता है। एक ऐसा लेन-देन जो नकली या मिली-जुली हो, केवल एक भ्रम पैदा करेगा कि पैसा चला गया है। एक उधारकर्ता को धन के समय मूल्य के रूप में प्रतिफल प्राप्त करने के उद्देश्य से वितरित किया जाता है, जब वास्तव में पक्षों ने एक अलग या एक गुप्त उद्देश्य के साथ लेनदेन किया है। दूसरे शब्दों में, पक्षों के बीच वास्तविक समझौता है

वित्तीय ऋण को आगे बढ़ाने के अलावा कुछ और। आईबीसी ने "टालने योग्य लेन-देन" की पहचान करने, रद्द करने या उपेक्षा करने के लिए प्रावधान किए गए जो परेशान कंपनियों के पास हो सकते हैं

सी. आई. आर. पी. की शुरुआत की स्थिति में लेनदारों की वसूली में बाधा डालने के लिए किया गया। इस तरह के टालने योग्य लेन-देन में शामिल हैं: (i) आई. बी. सी. की धारा 43 के तहत तरजीही लेनदेन; (ii) आई. बी. सी. की धारा 45 (2) के तहत कम मूल्यवान लेनदेन; (iii) आई. बी. सी. की धारा 49 के तहत लेनदारों को धोखा देने वाले लेनदेन; और (iv) आई. बी. सी. की धारा 50 के तहत जबरन वसूली लेनदेन। आई. बी. सी. मानता है कि दिवालिया व्यवस्था की सफलता के लिए, लेनदेन की वास्तविक प्रकृति का पता लगाना होगा ताकि किसी भी व्यक्ति को वैध लेनदारों के अधिकारों को नुकसान पहुंचाने के लिए इसके प्रावधानों का अनुचित लाभ लेने से रोका जा सके।

[पारस 46,48] [1112-बी-सी; 1114-ए-सी]

2 एस. सी. सी. 366-पर निर्भर। स्नूक वी. लंदन एंड वेस्ट राइडिंग इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड

[1967] 2 क्यू. बी. 786-संदर्भित।

4. स्पेड और एएए

एन. सी. एल. टी. ने 19 जुलाई 2019 के अपने आदेश में लेन-देन का विस्तृत विश्लेषण किया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि लेन-देन सांठगांठ वाले थे। अपने आदेश [2021] 15 एस. सी. आर. में एन. सी. एल. टी. के निष्कर्ष।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कॉर्पोरेट देनदार को स्पेड द्वारा दी गई कॉर्पोरेट जमा (आई. सी. डी.)। हालांकि, एक औपचारिक दस्तावेज के निर्माण के बावजूद, आई. सी. डी. पर ब्याज की दर 12 प्रतिशत थी जैसा कि आई. आर. पी. के समक्ष दावे में उल्लेख किया गया है, जो समझौता ज्ञापन में निर्धारित 24 प्रतिशत की ब्याज दर का आधा है। दलीलों के दौरान, इस न्यायालय के ध्यान में यह भी लाया गया कि समझौता ज्ञापन अपंजीकृत है और अप्रचलित। आई. आर. पी. ने 25 मई 2018 के अपने पत्र में उल्लेख किया है कि स्पेड द्वारा प्रदान किए गए खाते के अनुसार, कथित ऋण पर कोई ब्याज का दावा नहीं किया गया था और कॉर्पोरेट देनदार द्वारा स्पेड को मूलधन या ब्याज के भुगतान के संबंध में कोई समायोजन नहीं किया गया था। स्पेड और एएए की ओर से दायर लिखित प्रस्तुतियों में यह प्रस्तुत किया गया है कि कॉर्पोरेट देनदार के लेखा परीक्षक अपनी बैलेंस शीट में एक नोट डाल रहे थे जिसमें कहा गया था कि एक विवाद के कारण स्पेड को 12 प्रतिशत का ब्याज नहीं दिया जा रहा था। यह प्रस्तुतिकरण वास्तव में आई. आर.

पी. के निष्कर्ष को और मजबूत करता है कि कथित ऋण पर कोई ब्याज का भुगतान नहीं किया गया है। आई. आर. पी. ने अपने पत्र में यह भी उल्लेख किया है कि समझौता ज्ञापन में ऐसा नहीं है

पुनर्भुगतान की अवधि निर्धारित करें। अतः विचारणीय है कि धन का समय मूल्य अनुपस्थित है, जो वित्तीय ऋण का एक आवश्यक घटक है। एन. सी. एल. टी. ने यह भी नोट किया है कि इसका एक बड़ा हिस्सा

आईसीडी को श्री अरुण आनंद के खाते में जमा किया गया था, जिसमें कहा गया था कि पूरी राशि कॉर्पोरेट देनदार को "वितरित" नहीं की गई थी। एन. सी. एल. ए. टी. ने भी पैराग्राफ 11 (आई) में इसी तरह का निष्कर्ष निकाला है। अपने निर्णय से। समझौता ज्ञापन के खंड 2 के तहत, रु। 26.55 न केवल कॉर्पोरेट देनदार बल्कि "एकेएमई की ओर से अन्य कंपनियों" को भी करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं। किसी भी स्थिति में, आई. सी. डी. की संपूर्णता को स्पेड को वितरित नहीं किया गया था। इसके अलावा, कोई बोर्ड नहीं

आई. सी. डी. के अनुदान को मंजूरी देते हुए स्पेड द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया था और ऋण पर बनाया गया शुल्क इसके साथ पंजीकृत नहीं था कंपनियों के पंजीयक। समझौता ज्ञापन फीनिक्स एआरसी प्राइवेट लिमिटेड v था।

क्षेत्रीय वित्तीय सेवाएं सीमित और ओ. आर. एस.

एक आंख-धोने और मिलीजुली। एन. सी. एल. टी. ने 19 जुलाई 2019 के अपने आदेश में उल्लेख किया है कि ए. ए. ए. और निगमित देनदार ने एक ही संपत्ति के संबंध में कई समझौते किए थे, बिना किसी स्पष्टीकरण या तर्क के। विचार करें। इससे पता चलता है कि लेन-देन सांठगांठ की प्रकृति के थे जो कॉर्पोरेट देनदार की संपत्तियों को एएए में स्थानांतरित करने के उद्देश्य से किए गए थे। चूंकि विकास समझौते को लागू नहीं किया जा सका क्योंकि परियोजना के लिए लाइसेंस को दो भागों में विभाजित नहीं किया जा सका, इसलिए 25 अक्टूबर 2012 को एक बिक्री समझौता और एक साइड लेटर निष्पादित किया गया। के लिए समझौता

समझौते में चिन्हित और आवंटित विशिष्ट इकाइयों के संबंध में कुल एफ. एस. आई. के 38.3% के बराबर एफ. एस. आई./फ्लैट खरीदने के लिए बिक्री की गई थी। जाहिर है, बिक्री पर विचार पर फिर से बातचीत की गई और विकास के तहत इसे 32.80 करोड़ रुपये से बढ़ा दिया गया।

बिक्री समझौते के तहत 86.01 करोड़ रुपये का समझौता। 25 अक्टूबर 2012 के साइड लेटर के खंड 3 से पता चलता है कि

पक्षों का इरादा भूमि का सह-विकास जारी रखना था। ऐसा प्रतीत होता है कि दलों ने विकास को परिवर्तित कर दिया

एक विभाजन पर कानूनी निषेध को दरकिनार करने के लिए एक साइड लेटर के साथ निष्पादित बिक्री के लिए एक समझौते में समझौता

दो भागों में विकास लाइसेंस। एएए और कॉर्पोरेट देनदार के बीच लेन-देन प्रकृति में मिलीजुली था। चूँकि स्पेड और एएए और कॉर्पोरेट देनदार के बीच वाणिज्यिक व्यवस्थाएँ प्रकृति में मिली-जुली थीं, वे एक 'वित्तीय ऋण' का गठन नहीं करेंगे। इसलिए, स्पेड और एएए कॉर्पोरेट देनदार के वित्तीय लेनदार नहीं हैं। [पारस 49-52] [1115 F-H; 1116-A-H; 1117-A-G]

5. क्या स्पेड और एएए संबंधित पक्ष हैं

धारा 5 (24) में 'संबंधित पक्ष' अभिव्यक्ति की परिभाषा संपूर्ण है, क्योंकि अभिव्यक्ति को खंड (ए) से (एम) में निर्धारित "अर्थ" के लिए परिभाषित किया गया है। कॉरपोरेट देनदार के संबंध में धारा 5 (24) में 'संबंधित पक्ष' अभिव्यक्ति को परिभाषित किया गया है। धारा 5 (24 ए) किसी व्यक्ति के संबंध में एक संबंधित परिभाषा प्रदान करती है। परिभाषा एक परिवर्तनीय संबंध का वर्णन करती है, जिसका अर्थ है कि X, Y का एक संबंधित पक्ष हो सकता है, यदि X, Y से संबंधित है, या Y, X से संबंधित है। IBC के तहत 'संबंधित पक्ष' की परिभाषा काफी व्यापक है। विधानमंडल का इरादा

इस तरह की एक व्यापक परिभाषा को अपनाना सभी प्रकार के अंतर [2021] 15 एस. सी. आर. पर कब्जा करना था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

निगमित देनदार की पहचान स्पष्ट रूप से की जा सकती है, क्योंकि उनकी उपस्थिति अक्सर दिवालिया प्रक्रिया को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है। एन. सी. एल. ए. टी. के इस निष्कर्ष को स्वीकार करना मुश्किल नहीं है कि श्री अरुण आनंद करेंगे। धारा 5 (24) (एच) और धारा 5 (24) (एम) (आई) के अनुसार निगमित देनदार का एक संबंधित पक्ष होना। वर्तमान में, अदालत को यह निर्धारित करना है कि क्या कॉर्पोरेट देनदार का बोर्ड,

निदेशक आदि श्री अरुण आनंद की सलाह/निर्देश/निर्देश पर कार्य करने के आदी हैं और यदि वे निगमित ऋणदाता की नीति-निर्माण प्रक्रिया में भाग लेते हैं। हालांकि संक्षिप्त कार्यवाही में एन. सी. एल. टी. और एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा इरादे या पुरुष तर्क का सख्त निर्धारण हमेशा संभव नहीं हो सकता है, लेकिन तथ्यों से निष्कर्ष निकालना संभव है। ये तथ्य हैं कि श्री अरुण आनंद और श्री आनंद की संस्थाओं के बीच एक गहरी उलझन थी।

श्री अनिल नंदा और श्री अरुण आनंद इस अवधि के दौरान ऐसे पदों पर रहे जिनका उपयोग वे कॉर्पोरेट देनदार के मामलों का मार्गदर्शन करने के लिए कर सकते थे। इस निष्कर्ष का समर्थन आगे किया जाता है यह निष्कर्ष निकालते हुए कि कॉर्पोरेट देनदार और श्री अरुण आनंद के नेतृत्व वाली संस्थाओं के बीच

लेनदेन प्रकृति में मिलीजुली थे। एन. सी. एल. ए. टी. का यह निष्कर्ष कि स्पेड ने धारा 5 (24) (एफ) के तहत कॉर्पोरेट देनदार के बोर्ड/निदेशकों की सलाह/निर्देशों/निर्देशों के आधार पर दो लेनदेन किए हैं, स्वीकार किया जाता है। जैसा कि पहले से ही आयोजित किया गया है, एएए और एएए के बीच लेनदेन

वह अवधि जब लेन-देन जिसके आधार पर स्पेड और एएए वित्तीय लेनदारों के रूप में अपनी स्थिति का दावा करते हैं। [पारस 57-59,62-65] [1120-B-C; 1121-E-G; 1122-G-H; 1123-AH]

6. धारा 21 (2) के प्रथम प्रावधान में संशोधन

फीनिक्स ए. आर. सी. प्राइवेट लिमिटेड वी. क्षेत्रीय वित्तीय सेवाएं सीमित और ओ. आर. एस.

धारा 21 (2) के पहले परंतुक में संशोधन किया गया था, ताकि निर्दिष्ट अधिकृत प्रतिनिधियों को अयोग्य ठहराया जा सके।

यदि ये प्रतिनिधि निगमित देनदार के संबंधित पक्षकार थे। संबंधित पक्ष के साथ वाक्यांश "है" का परिचय इसके पीछे एक मार्गदर्शक कारक नहीं था।

संसदीय संशोधन। [पैरा 81] [1132-बी-सी]

7. संबंधित दल-प्रेसेन्टी में व्याख्या

कॉरपोरेट देनदार के संबंधित पक्ष को सी. ओ. सी. से बाहर करने का उद्देश्य हितों के टकराव को दूर करना है जो हैं -

धारा 21 (2) का परंतुक आकर्षित होगा। तथापि, यदि ऐसी व्याख्या धारा 21 (2) के पहले परंतुक को दी जाती है, तो सभी वित्तीय लेनदारों को बाहर रखा जाएगा यदि वे उस समय कॉर्पोरेट देनदार के 'संबंधित पक्ष' थे जब वित्तीय ऋण बनाया गया था। इससे उन संस्थाओं के लिए बेतुके निष्कर्ष निकल सकते हैं जिन्होंने वैध रूप से संबंधित पक्षों के ऋण को ले लिया है, या जहां संबंधित पार्टी इकाई ने बहुत पहले एक 'संबंधित पक्ष' होना बंद कर दिया था। इस प्रकार, यह स्पष्ट किया गया है कि के तहत बहिष्करण

धारा 21 (2) का पहला परंतुक स्वयं ऋण से नहीं बल्कि संबंधित पक्ष के बीच मौजूद वित्तीय संबंध से संबंधित है। लेनदार और निगमित देनदार। इस प्रकार, वित्तीय लेनदार जो वास्तव में एक संबंधित पक्ष नहीं है, उसे सी. ओ. सी. का सदस्य होने से प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा। हालाँकि, यदि संबंधित पक्ष वित्तीय लेनदार अपनी हिस्सेदारी से खुद को अलग कर लेता है या सी. ओ. सी. में भाग लेने और सी. आई. आर. पी. में तोड़फोड़ करने के एकमात्र इरादे से व्यावसायिक क्षमता में संबंधित पक्ष बनना बंद कर देता है, तो अन्य लेनदारों के वोट शेयर को कम करके या अन्यथा, यह [2021] 15 एस. सी. आर. के पहले परंतुक के उद्देश्य और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए होगा।

धारा 21 (2) के पहले परंतुक के तहत अपवर्जन को भी इसके तहत अपवर्जन के दायरे में माना जाना चाहिए। वर्तमान मामले में, एक निष्कर्ष है कि एएए और स्पेड उस समय धारा 5 (24) के अर्थ के भीतर संबंधित पक्ष थे जब कथित वित्तीय ऋण, जिसके आधार पर वे सीओसी का हिस्सा होने का दावा करते हैं, बनाया गया था। यह श्री अरुण आनंद और श्री अनिल नंदा और उनके संबंधित निगमों के बीच लंबे समय से चले आ रहे संबंधों के कारण था। मान लीजिए कि इस तरह का रिश्ता 2017 में भी था, जब से श्री अनिल नंदा की जे. आई. पी. एल. थी। श्री अरुण आनंद के स्पेड में हिस्सेदारी। इसके अलावा, एक ओर स्पेड और एएए और दूसरी ओर कॉर्पोरेट देनदार के बीच लेनदेन, जिसने उनके कथित वित्तीय ऋणों को जन्म दिया, प्रकृति में सांठगांठ वाले थे। अतः यह स्पष्ट है कि

कथित वित्तीय ऋण उत्पन्न होने पर स्पेड, एएए और कॉर्पोरेट देनदार के बीच एक गहरा उलझा हुआ संबंध था। हालांकि संबंधित पक्षों के रूप में उनकी स्थिति अब नहीं रह सकती है, यह उन वाणिज्यिक साजिशों के कारण था जिनके माध्यम से ये संस्थाएं काम करना चाहती हैं।

अब सीओसी में प्रवेश करने के लिए। इन संस्थाओं पर श्री अनिल नंदा (निगमित ऋणदाता के प्रवर्तक/निदेशक) का व्यापक प्रभाव स्पष्ट है, और उन्हें सी. ओ. सी. में अनुमति देने से निश्चित रूप से अन्य स्वतंत्र वित्तीय ऋणदाता प्रभावित होंगे। [पारस 90-92,94 96] [1138-G-H; 1139-D-F; 1140-G-H; 1141-A-G]

8. एन. सी. एल. ए. टी. के निर्णय को, जितना उसने स्पेड और ए. ए. ए. को वित्तीय लेनदारों के रूप में संदर्भित किया है, अलग रखा गया है। इसकी वजह से

धारा 5 (8), स्पेड और एएए के तहत वित्तीय ऋण के रूप में कथित उनके लेनदेन की मिली-जुली प्रकृति को धारा 5 (7) के तहत वित्तीय लेनदारों के रूप में लेबल नहीं किया जा सकता है। एन. सी. एल. ए. टी. का निर्णय, जितना उसने स्पेड और ए. ए. ए. को संबंधित पक्षों के रूप में संदर्भित किया

धारा 5 (24) के तहत निगमित ऋणदाता की पुष्टि की जाती है। फैसला

एन. सी. एल. ए. टी. की धारा 21 (2) के पहले परंतुक के अनुसार सी. ओ. सी. से स्पेड और ए. ए. ए. को जितना बाहर रखा गया है, उसकी पुष्टि की जाती है, लेकिन ऊपर उल्लिखित कारणों से। [पैरा 97] [1141-जीएच; 1142-ए-सी] फीनिक्स एआरसी प्राइवेट लिमिटेड v.

क्षेत्रीय वित्तीय सेवाएं सीमित और ओ. आर. एस.

आर्सेलर मित्तल इंडिया (पी) लिमिटेड बनाम सतीश कुमार गुप्ता

(2019) 2 एससीसी 1: [2018] 12 एस. सी. आर. 362-पर निर्भर।

अभय सिंह चौटाला बनाम। सी. बी. आई (2011) 7 एस. सी. सी. 141:

[2011] 10 एससीआर 949; आर. एस. नायक बनाम ए. आर. अंतुले (1988)

2 एस. सी. सी. 602 [1988] 1 पूरक। एस. सी. आर. 1-संदर्भित। ऋचा सराफ, 'संबंधित पार्टी की अवधारणा: द्वारा व्याख्या

आई. बी. सी. का पत्र या आत्मा? ' , (इंडिया कॉर्प लॉ, 11 अगस्त 2018); थॉमस एच. जैक्सन, 'दिवालियापन, गैर-दिवालियापन अधिकार, और लेनदारों का सौदा', 91 येल लॉ जर्नल 857, (1982) 859-71 पर; मेधा शेखर और अनुराधा गुरु, सैद्धांतिक

दिवाला कानून की रूपरेखा; डगलस जी. बेयर्ड, 'ए वर्ल्ड'

दिवालियापन के बिना, 50 कानून और समकालीन समस्याएं, स्प्रिंग 1987; डी. आर. कोरोबकिन, पुनर्वास मूल्य: दिवालियापन का न्यायशास्त्र, 91 कोलंबिया लॉ रिव्यू (1991), दिवालियापन कानून सुधार समिति, खंड I: तर्क और डिजाइन, का

नवंबर 2015; दिवाला विधि समिति की रिपोर्ट, मार्च 2018; विधि कानूनी नीति केंद्र, दिवाला और दिवालियापन संहिता को समझना, 2016: विकास का विश्लेषण करना

न्यायशास्त्र; UNCITRAL, दिवाला पर विधायी गाइड कानून, 2005; जी. पी. सिंह, सांविधिक व्याख्या के सिद्धांत (पहला संस्करण, लेक्सिस नेक्सिस 2015); दिवाला विधि समिति रिपोर्ट, 2020।

मामला कानून संदर्भ

[2019] 3 एससीआर 535

उस पर भरोसा करें

पैरा 43

[2019] 10 एससीआर 381

उस पर भरोसा करें

पैरा 44

(1973) 2 एस. सी. सी. 366

उस पर भरोसा करें

पैरा 47

[2018] 12 एससीआर 362

पैरा 54

(ii)

उस पर भरोसा करें

[2011] 10 एससीआर 949

संदर्भित किया गया है

पैरा 86

[1988] 1 पूरक। एससीआर 1

संदर्भित किया गया है

पैरा 88

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील No.2842

2020 .

राष्ट्रीय कंपनी कानून के दिनांकित 19.07.2019 आदेश से

अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली, सीपी (आईबी)-55/एनडी/2018 में बेंच-III।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्टों के साथ

[2

2020 की सिविल अपील No.3063।

नीरज किशन कौल, केवी विश्वनाथन, संजीव

गौरव अग्रवाल, सुरेश दत्त डोभाल, शिखर कुमार नागपाल, आर. वेंकटरमन, दीपांशु गाबा, पी. वी. योगेश्वर आनंद, सुश्री मिट्ठू जैन, मोहक शर्मा, पार्थिक चौ उपस्थित थे।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़,

इस निर्णय को निम्नलिखित धाराओं में विभाजित किया गया है -

वे इस प्रकार हैं:

अपीलें

ए.

निगमित देनदार के लिए सी. आई. आर. पी.

बी.

एन. सी. एल. टी. के समक्ष कार्यवाही

सी.

एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष कार्यवाही

डी.

निगमित देनदार के लेन-देन

ई.

अनिल नंदा और अरु के बीच संबंध

एफ.

क्या स्पेड और एएए वित्तीय हैं

जी.

निगमित कर्जदार

जी. 1 परामर्श प्रस्तुत करना

जी. 2 प्रारंभिक प्रस्तुति का मूल्यांकन

जी. 2. एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष मुद्दे

जी. 2.3 एन. सी. एल. ए. टी. को रिमांड

जी3 विश्लेषण

जी. 3.1 सांविधिक प्रावधान

जी. 3.2 वित्तीय लेनदार और वित्तीय

जी. 3. मिली-जुली लेन-देन

जी. 3 स्पेड और एएए

क्या स्पेड और एएए संबंधित भाग PHOENIX ARC PRIVATE LIMITED v हैं।

एच.

क्षेत्रीय वित्तीय सेवाएं सीमित और ओ. आर. एस. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

एच. 1 परामर्श प्रस्तुत करना

एच. 2 सांविधिक प्रावधान

एच. 3 विश्लेषण

आई.

क्या स्पेड और एएए को सीओसी से बाहर रखा जा सकता है

I. 1 वकील की प्रस्तुतियाँ

1.2 संबंधित दल और सी. ओ. सी.

I. 3 धारा 21 (2) के प्रथम प्रावधान में संशोधन

I. 4 संबंधित दल-प्रेसेन्टी में व्याख्या

निष्कर्ष

जे.

ए द अपील्स

1. यह निर्णय राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण के फैसले से उत्पन्न होने वाली अपीलों के दो समूहों को नियंत्रित करेगा।

(" एन. सी. एल. ए. टी. या अपीलीय न्यायाधिकरण)। 27 जनवरी 2020 के एक फैसले द्वारा, एन. सी. एल. ए. टी. ने राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण, नई दिल्ली पीठ-III (एन. सी. एल. टी. या न्यायनिर्णायक) के 19 जुलाई 2019 के आदेश पर हमला करने के लिए ए. ए. ए. लैंडमार्क प्राइवेट लिमिटेड ("ए. ए. ए".) और स्पेड फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ("स्पेड") द्वारा पसंद की गई

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 ("आई. बी. सी".) की धारा 61 के तहत अपील को खारिज कर दिया।

प्राधिकरण ")। एन. सी. एल. टी. ने कहा था कि ए. के. एम. ई. प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ("कॉर्पोरेट देनदार") के खिलाफ शुरू की गई कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया ("सी. आई. आर. पी".) के संबंध में गठित ऋणदाताओं की समिति ("सी. ओ. सी".) से ए. ए. ए. और स्पेड को बाहर रखा जाना चाहिए। एन. सी. एल. टी. ने फीनिक्स आर्क प्राइवेट द्वारा दायर आवेदन 1 पर 19 जुलाई 2019 को अपना आदेश पारित किया।

2. फीनिक्स, 2020 की सिविल अपील संख्या 2842 में प्रस्तुत करता है कि हालांकि NCLAT ने स्पेड और AAA द्वारा दायर अपील को सही ढंग से खारिज कर दिया, यह मानते हुए कि वे कॉर्पोरेट देनदार के संबंधित पक्ष हैं और इसलिए उन्हें सी. ओ. सी. से बाहर रखा जाना चाहिए, एक गलत निष्कर्ष है कि वे वित्तीय लेनदार हैं। अपने फैसले के पैराग्राफ 11 में, एन. सी. एल. ए. टी. ने कहा है:

" ..... मान लीजिए कि अपीलकर्ता निगम के वित्तीय लेनदार हैं।

देनदार एकेएमई प्रोजेक्ट्स लिमिटेड "।

1 सीए सं. 337/2018 और सीए सं. 338/2019 (फीनिक्स); सीए सं. 268/2018 और सीए सं. 269/2018 (यस बैंक)।

यह प्रस्तुत किया गया है कि इस पर कभी कोई प्रवेश नहीं था

फीनिक्स का हिस्सा है कि एएए और स्पेड वित्तीय लेनदार हैं। फीनिक्स की अपील उपरोक्त निष्कर्ष को इस आधार पर चुनौती देना चाहती है कि:

((i) यह अभिलेख के विपरीत है; और

(ii) फीनिक्स का विशिष्ट रुख यह है कि एएए और स्पेड दोनों ही कॉर्पोरेट देनदार के लेनदार भी नहीं हैं, बहुत कम वित्तीय लेनदार हैं।

फीनिक्स इस प्रकार आई. बी. सी. की धारा 62 के तहत अपील में है, जो इस निष्कर्ष तक सीमित है कि ए. ए. ए. और स्पेड वित्तीय लेनदार हैं।

3. स्पेड और ए. ए. ए. ने 27 जनवरी 2020 के एन. सी. एल. ए. टी. के फैसले पर हमला करने के लिए 2020 की धारा 62, सिविल अपील संख्या 3063 के तहत स्वतंत्र रूप से एक अपील दायर की है।

सी. ओ. सी. में इस आधार पर भाग लेना कि वे आई. बी. सी. की धारा 5 (24) और धारा 21 (2) के पहले प्रावधान के संदर्भ में निगमित ऋणदाता के संबंधित पक्ष हैं।

4. उपरोक्त अपीलों के आधार पर, इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए तीन मुद्दे सामने आए हैं:

(i) क्या स्पेड और एएए वित्तीय लेनदार हैं

निगमित ऋणदाता;

((ii) क्या स्पेड और एएए कॉरपोरेट के संबंधित पक्ष हैं।

ऋणी; और

(iii) क्या स्पेड और एएए को सीओसी से बाहर रखा जाना है।

बी. कॉर्पोरेट देनदार के लिए सी. आई. आर. पी.

5. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि सी. आई. आर. पी. को 18 अप्रैल 2018 को एक परिचालन लेनदार, श्री हरि कृष्ण शर्मा द्वारा दायर एक आवेदन पर कॉर्पोरेट देनदार के खिलाफ शुरू किया गया था।

आईबीसी।

6. सी. आई. आर. पी. के दौरान, अंतरिम समाधान पेशेवर (आई. आर. पी.) द्वारा दावे आमंत्रित किए गए थे। स्पेड ने वित्तीय रूप में फॉर्म सी में अपना दावा दायर किया।

रुपये की राशि के लिए लेनदार। 52,96,00,000 10 मई 2018 को। इसके बाद, स्पेड ने रुपये की राशि के लिए एक संशोधित फॉर्म सी दाखिल किया। 109,11,00,000 20 मई 2018 को। स्पेड ने 12 अगस्त 2011 के एक कथित समझौता ज्ञापन के आधार पर फॉर्म दाखिल किया था, जिसे कॉर्पोरेट देनदार के साथ निष्पादित किया गया था, जिसमें कहा गया था कि इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट ("आईसीडी") रु।

फीनिक्स ए. आर. सी. प्राइवेट लिमिटेड वी. क्षेत्रीय वित्तीय सेवाएं सीमित और ओ. आर. एस. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

26,55,00,000 निगम ऋणदाता को पक्षकारों के बीच आपसी समझौते के संदर्भ में 24 प्रतिशत के पुनर्भुगतान योग्य ब्याज के साथ ऋण राशि प्रदान की गई है। हालाँकि, स्पेड ने इस अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया है कि उसने आई. सी. डी. को रु। 66,00,00,000 (लगभग) जून 2009 और जनवरी 2013 के बीच कॉर्पोरेट देनदार को। इस राशि में से स्पेड रुपये की मूल राशि का दावा कर रहा है। 23,00,00,000 . ₹ 43,06,00,000 की शेष राशि एएए के खाते में जमा की गई थी, जो एक स्पेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी। स्पेड का कुल दावा बढ़कर रु। 109,11,00,000 7 वर्षों में 24 प्रतिशत की दर से ब्याज पर।

7. एएए ने वित्तीय लेनदार या परिचालन लेनदार के अलावा अन्य लेनदार के रूप में फॉर्म एफ में आईआरपी के समक्ष अपना दावा दायर किया।

रु. 93,90,00,000 10 मई 2018 को। इसके बाद, एएए ने रुपये की राशि के लिए वित्तीय लेनदार के रूप में फॉर्म सी में एक संशोधित दावा दायर किया। 109,72,00,000 23 मई 2018 को। इसने 1 मार्च 2012 को कॉर्पोरेट देनदार के साथ एक करोड़ रुपये की बिक्री के लिए एक विकास समझौता किया था।

32,80,00,000 किसी परियोजना में विकास अधिकार खरीदना। 25 अक्टूबर 2012 को, विकास समझौते को समाप्त कर दिया गया था और फ्लैटों की खरीद के लिए एएए और कॉर्पोरेट देनदार के बीच एक साइड लेटर के साथ एक बिक्री समझौते को निष्पादित किया गया था। के लिए बिक्री पर विचार

बिक्री के लिए समझौते को बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दिया गया। 86,01,00,000 रु. से। 32,80,00,000 विकास समझौते के तहत। एएए ने रुपये की राशि का भुगतान किया। 43,06,00,000 बिक्री समझौते के तहत अग्रिम भुगतान के रूप में। इस राशि को स्पेड को देय आई. सी. डी. से समायोजित किया गया था जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है। ए. ए. ए. का दावा मूल राशि के संबंध में है रु. 43,06,00,000 , जो 18 प्रतिशत की दर से ब्याज के साथ बढ़कर रु। 109,72,00,000 5 वर्षों में।

दावा आई. बी. सी. की धारा 5 (8) के संदर्भ में वित्तीय ऋण की प्रकृति में नहीं था क्योंकि इसके समय मूल्य के लिए विचार का अभाव था। धन, अर्थात, दावा की गई आई. सी. डी. के पुनर्भुगतान की अवधि नहीं थी

निर्धारित किया गया। आई. आर. पी. ने ए. ए. ए. के दावे को इस आधार पर भी खारिज कर दिया कि फॉर्म सी में एक वित्तीय लेनदार के रूप में उसका दावा इस तरह का दावा दायर करने की अवधि समाप्त होने के बाद दायर किया गया था।

सी. एन. सी. एल. टी. के समक्ष कार्यवाही

9. वित्तीय लेनदारों के रूप में अपने दावे की अस्वीकृति से व्यथित, एएए और स्पेड ने [2021] 15 एस. सी. आर. में शामिल करने के लिए एन. सी. एल. टी. के समक्ष आवेदन दायर किए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सीओसी। एन. सी. एल. टी. ने 30 मई 2018 के अपने आदेश द्वारा आवेदनों की अनुमति दी। हालांकि, फीनिक्स और यस बैंक जैसे अन्य वित्तीय लेनदारों में से कोई भी इन कार्यवाही का पक्ष नहीं था। एन. सी. एल. टी. ने पाया कि प्रपत्र एफ में ए. ए. ए. का मूल दावा समय पर दायर किया गया था और

इसने केवल प्रपत्र सी के तहत अपने दावे में संशोधन किया है। एन. सी. एल. टी. ने आगे कहा कि स्पेड द्वारा आई. सी. डी. के रूप में दी गई राशि जमा के रूप में प्राप्त की गई है और ब्याज पर टी. डी. एस. काटते हुए प्रपत्र 26 ए. एस. में परिलक्षित ब्याज को आकर्षित कर रही है। इस प्रकार, एन. सी. एल. टी. ने स्पेड और ए. ए. ए. को दावों पर विचार करने के लिए आई. आर. पी. को निर्देश देने के साथ वित्तीय लेनदारों के रूप में अपने दावे प्रस्तुत करने की अनुमति दी।

10. फीनिक्स कॉर्पोरेट देनदार का एक वित्तीय लेनदार भी है और सी. ओ. सी. का एक हिस्सा है। इसका दावा 28 दिसंबर 2015 को उसके पक्ष में एक पंजीकृत कार्यपत्र पर आधारित है, जिसके अनुसार, कर्नाटक बैंक लिमिटेड ने निगमित देनदार को दी गई ऋण सुविधाओं से संबंधित गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों को सौंपा था। ए. ए. ए. और स्पेड को सी. ओ. सी. में शामिल किए जाने के कारण फीनिक्स का मतदान हिस्सा घटकर 4.28% रह गया।

11. 1 जून 2018 को सी. ओ. सी. की एक बैठक हुई जिसमें यस बैंक और फीनिक्स ने भाग लिया और नए स्वीकृत बैंक ने भी भाग लिया।

वित्तीय लेनदार, एएए और स्पेड। बैठक के बाद, यस बैंक और फीनिक्स ने सी. ओ. सी. से ए. ए. और स्पेड को इस आधार पर बाहर करने के लिए एन. सी. एल. टी. में आवेदन दायर किए कि वे संबंधित पक्ष हैं। एन. सी. एल. टी. द्वारा दो आवेदनों में नोटिस जारी किया गया था।

12. 28 जून 2018 को धारा 60 (5) के तहत यस बैंक की ओर से दायर आवेदन में निम्नलिखित राहत की मांग की गई थी:

(i) आई. आर. पी. को दिवाला और दिवालियापन (संशोधन) अध्यादेश 2018 के संदर्भ में सी. ओ. सी. का पुनर्गठन करने का निर्देश।

(" आई. बी. सी. अध्यादेश 2018); और

(ii) आई. आर. पी. को ए. ए. ए. और स्पेड को सी. ओ. सी. की बैठक में भाग लेने और मतदान करने की अनुमति देने से रोकने वाला एक निर्देश।

13. फीनिक्स द्वारा धारा 60 (5) के तहत दायर आवेदनों में भी इसी तरह की राहत की मांग की गई है:

(i) सी. ओ. सी. से कुदाल और ए. ए. ए. को हटाना; और
(ii) आई. बी. सी. के संदर्भ में सी. ओ. सी. के गठन का निर्देशन करना।

अध्यादेश 2018।

क्षेत्रीय वित्तीय सेवाएं सीमित और ओ. आर. एस. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

14. एन. सी. एल. टी. ने 19 जुलाई 2019 के अपने फैसले में निर्धारण के लिए दो मुद्दे तैयार किए। ये दो मुद्दे थेः

" आई. पक्षों के बीच लेन-देन की प्रकृति क्या है और क्या यह आई. बी. सी., 2016 की धारा 5 (8) के तहत परिभाषित वित्तीय ऋण के रूप में माने जाने के योग्य है। ii. कथित वित्तीय लेनदार को इसमें शामिल करने के लिए दोनों पक्षों के बीच संबंध किस तारीख को होना चाहिए?

परिभाषा "संबंधित पक्ष"।

15. पहले मुद्दे के संबंध में, एन. सी. एल. टी. ने कहा किः

" ..... सी. डी. और एस. पी. ए. डी. ई. और ए. ए. ए. लैंडमार्क दोनों के बीच लेनदेन प्रकृति में मिलीजुली हैं और वित्तीय के रूप में योग्य नहीं हैं।

आई. बी. सी. के उद्देश्य के लिए ऋण "।

तदनुसार, एन. सी. एल. टी. ने अभिनिर्धारित किया कि स्पेड और ए. ए. ए. वित्तीय लेनदार माने जाने के योग्य नहीं थे।

16. दूसरे मुद्दे के संबंध में, एन. सी. एल. टी. ने कहा कि उसके उपरोक्त निष्कर्ष को देखते हुए उसे "जवाब की आवश्यकता नहीं है"। हालांकि, यह

आई. बी. सी. की धारा 21 (2) के पहले प्रावधान पर ध्यान दिया, जिसे 6 जून 2018 से लागू किया गया था। पहले परंतुक के तहत, अन्य बातों के साथ-साथ, एक वित्तीय लेनदार जो कॉर्पोरेट देनदार का एक संबंधित पक्ष है, को सी. ओ. सी. में प्रतिनिधित्व, भागीदारी या मतदान का अधिकार नहीं होगा। न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने कहा कि "हमारे मन में कोई संदेह नहीं है कि अरुण आनंद और उनकी कंपनी स्पेड और एएए लैंडमार्क सीडी के संबंधित पक्ष थे"। हालाँकि, एन. सी. एल. टी. ने नोट किया कि 2013 के बाद, 25 अक्टूबर 2012 के बिक्री समझौते के निष्पादन के तुरंत बाद, अरुण आनंद ने अनिल नंदा समूह की सभी कंपनियों से इस्तीफा दे दिया और अब सी. आई. आर. पी. की शुरुआत के लिए आवेदन दाखिल करने के समय कॉर्पोरेट देनदार से संबंधित नहीं थे। अंततः, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने माना कि निगमित देनदार और प्रतिनिधित्व करने वाले समूह के मामलों के बीच एक गहरी उलझन थी

अरुण आनंद कंपनियाँ जिनका न्यायाधिकरण के समक्ष संक्षिप्त अधिकार क्षेत्र में खुलासा नहीं किया जा सका। एन. सी. एल. टी. का अंतिम निर्णय पहले मुद्दे पर उसके निष्कर्षों के आधार पर सी. ओ. सी. से ए. ए. और स्पेड को बाहर करने के लिए यस बैंक और फीनिक्स द्वारा दायर आवेदनों की अनुमति देना था।

डी एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष कार्यवाही

17. अपील में, एन. सी. एल. ए. टी. ने अपने फैसले के पैराग्राफ 11 में यह देखने के लिए आगे बढ़ाया कि "स्वीकार्य रूप से" कुदाल और ए. ए. ए. वित्तीय [2021] 15 एस. सी. आर. हैं।

निगमित देनदार के लेनदार "। ऐसा कहने के बाद, अपीलीय न्यायाधिकरण इस बात की जांच करने के लिए आगे बढ़ा कि क्या एएए और स्पेड आईबीसी की धारा 5 (24) के अर्थ के भीतर संबंधित पक्ष हैं।

18. उपरोक्त मुद्दे का सकारात्मक जवाब देते हुए, एनसीएलएटी

अभिनिर्धारित किया कि स्पेड और एएए निगमित देनदार के संबंधित पक्ष हैं क्योंकि:

(i) एएए तदनुसार कॉर्पोरेट देनदार का भागीदार था।

धारा 5 (24) (ए) 3 के साथ। अपीलीय न्यायाधिकरण ने अभिनिर्धारित किया कि दिनांकित विकास समझौते को रद्द करने के बाद भी

1 पार्टियों के बीच मार्च 2012 में, उन्होंने 25 अक्टूबर 2012 को बिक्री और पक्ष पत्र के लिए एक समझौता किया था।

जो केवल एक छलावरण था जिसके तहत वे थे

एक आवासीय परियोजना के विकास में भागीदारों को बेचा जाना है

तृतीय पक्ष;

(ii) धारा 5 (24) (च) * के अनुसार, 2010 से 2013 की लेन-देन अवधि के दौरान, श्री अरुण आनंद के नेतृत्व में स्पेड निम्नलिखित आधार पर पर्याप्त वित्तीय व्यवस्था कर रहा था:

इसके नेतृत्व में निगमित ऋणदाता द्वारा प्रदान की गई सलाह

प्रबंधन और निदेशक, अर्थात, श्री अनिल नंदा (कॉर्पोरेट ऋणदाता के प्रवर्तक) और श्री सोनल आनंद (श्री अरुण) आनंद के बहनोई)। विशेष रूप से, अपीलीय न्यायाधिकरण ने स्पेड और स्पेड के बीच निम्नलिखित दो व्यवस्थाओं को नोट किया

निगमित देनदार:

(क) 2 दिसंबर 2010 का समझौता ज्ञापन, जिसके माध्यम से स्पेड ने कॉर्पोरेट देनदार की ओर से तीसरे

पक्ष को रु। 22 आई. सी. डी. के रूप में करोड़ रुपये दान किए। 3 किसी अन्य तृतीय-पक्ष न्यास को करोड़ रुपये; और

(ख) 16 और 17 जनवरी 2013 के बीच, अनिल नंदा ग्रुप ऑफ कंपनीज (श्री सोनल आनंद के नेतृत्व में) ने तीसरे पक्ष के साथ अपने ऋण का निपटान करने की मांग की। 2 करोड़)

कुदाल के साथ रखी गई धनराशि;

3 "(क) निगमित ऋणी का निदेशक या भागीदार या निदेशक या भागीदार का रिश्तेदार।

निगमित देनदार का; "

4 " (च) कोई भी निगम जिसका निदेशक मंडल, प्रबंध निदेशक या प्रबंधक, व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में, की सलाह, निर्देशों या निर्देशों पर कार्य करता है।

निगमित देनदार का निदेशक, भागीदार या प्रबंधक; "PHOENIX ARC PRIVATE LIMITED v.

क्षेत्रीय वित्तीय सेवाएं सीमित और ओ. आर. एस. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

(iii) धारा 5 (24) (एच) 'के अनुसार, निगमित देनदार

श्री अरुण आनंद के निर्देश/निर्देश पर कार्य कर रहा था।

जो अपने परिवार के साथ स्पेड में बहुसंख्यक शेयरधारक है,

जिनमें से एएए एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। अपीलीय

न्यायाधिकरण इस आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि: (क) 1 जून 2009 को, स्पेड को 'सलाहकार' के रूप में नियुक्त किया गया था

21 फरवरी 2011 तक निगमित देनदार;

(बी) 1 नवंबर 2011 से, श्री अरुण आनंद को कॉर्पोरेट देनदार के 'रणनीतिक सलाहकार' के रूप में नियुक्त किया गया था;
(ग) 26 नवंबर 2012 से, श्री अरुण आनंद थे

अनिल नंदा ग्रुप ऑफ कंपनीज के ग्रुप सी. ई. ओ. के रूप में नियुक्त, जिसमें कॉर्पोरेट देनदार शामिल थे; और

(घ) एहि अवधिमे स्पेड द्वारा पहिल आईसीडी देल गेल छल।

निगमित देनदार;

((iv) उन्हीं कारणों के आधार पर (iii) श्री अरुण आनंद ने

नीति-निर्माण में भाग लेने वाले व्यक्ति के रूप में भी माना गया था

धारा के अनुसार निगमित ऋणदाता की प्रक्रिया

5 (24) (एम) (आई) ";

(v) श्री अरुण आनंद और श्री सोनल आनंद इसके निदेशक थे।

2013 तक निगमित देनदार। इसलिए, श्री अरुण आनंद धारा 5 (24) (ए) के तहत एक संबंधित पक्ष होना

5 (24 ए) (ए) 7, किसी अन्य निदेशक का रिश्तेदार होना; और

(vi) निगमित ऋणदाता की होल्डिंग कंपनी, संयुक्त निवेश

प्राइवेट लिमिटेड ("जे. आई. पी. एल".), स्पेड में हिस्सेदारी रखता है।

19. अतः, एन. सी. एल. ए. टी. इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि

प्राधिकरण ने स्पेड और एएए दोनों को सीओसी में भाग लेने से उचित रूप से बाहर कर दिया था क्योंकि श्री अनिल नंदा ने श्री अरुण आनंद और उनके परिवार के साथ मिलकर कंपनियों का एक जाल बनाया था जो कॉर्पोरेट देनदार से संबंधित पक्ष थे, और अब उनके माध्यम से सीओसी में पिछले दरवाजे से प्रवेश पाने की कोशिश कर रहे थे।

5 " (ज) कोई भी व्यक्ति जिसकी सलाह, निर्देश या निर्देश पर, एक निदेशक, भागीदार या

कॉर्पोरेट देनदार का प्रबंधक कार्य करने का आदी है; "

6 " (एम) कोई भी व्यक्ति जो निगमित देनदार के साथ जुड़ा हुआ है-(i)

निगमित देनदार की नीति-निर्माण प्रक्रियाओं में भागीदारी;

7 “ (24 - ए) किसी व्यक्ति के संबंध में "संबंधित पक्ष" का अर्थ है-(ए) एक व्यक्ति जो

व्यक्ति के रिश्तेदार या व्यक्ति के जीवनसाथी के रिश्तेदार; "[2021] 15 एस. सी. आर.

निगमित ऋणदाता के ई लेनदेन

20. इससे पहले कि हम मुद्दों के अपने विश्लेषण के साथ आगे बढ़ें, यह है

एक ओर कॉर्पोरेट देनदार और दूसरी ओर स्पेड और एएए के बीच प्रासंगिक लेनदेन पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है, जो वित्तीय लेनदारों के रूप में उनके दावों को जन्म देता है।

21. कॉर्पोरेट देनदार और स्पेड के बीच निम्नलिखित लेनदेन हमारे विचार के लिए प्रासंगिक हैं:

(i) 12 अगस्त 2011 का समझौता ज्ञापन,

जिस स्पेड ने कॉर्पोरेट देनदार को आई. सी. डी. प्रदान की, जिसकी कुल राशि रु। 66 1 जून 2009 से जनवरी 2013 तक, जिसमें 24 प्रतिशत ब्याज का प्रावधान था। हालाँकि, स्पेड ने कहा है कि वास्तव में केवल 12 प्रतिशत ब्याज लिया गया था और इसलिए उसका दावा उसी आधार पर है।

(ii) इस समझौता ज्ञापन के माध्यम से, कॉर्पोरेट ऋणदाता ने 37 फ्लैटों के माध्यम से इन आईसीडी के लिए सुरक्षा प्रदान की। 39.825 उनकी अचल संपत्ति परियोजना, ए. के. एम. ई. आर. ए. ए. जी. ए. में रु. इसके अलावा, 16 और 17 जनवरी 2012 के ईमेल के माध्यम से, 11 भूखंडों के माध्यम से अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान की गई थी। 3 कॉर्पोरेट देनदार की अचल संपत्ति परियोजना, ए. के. एम. ई. पोलिस में करोड़।

आरोप पंजीकृत नहीं था; और

(iii) स्पेड द्वारा निगमित ऋणदाता को प्रदान की गई आई. सी. डी. में से रु. 43.06 श्री अरुण आनंद की सहमति से उनके खाते में करोड़ों रुपये जमा किए गए। हालाँकि, इस पर विवाद किया गया है

कुदाल।

22. निगमित देनदार और एएए के बीच निम्नलिखित लेनदेन हमारे विचार के लिए प्रासंगिक हैं:

(i) 1 मार्च 2012 का विकास समझौता, जिसके माध्यम से कॉर्पोरेट देनदार ने अपनी अचल संपत्ति परियोजना, ए. के. एम. ई. आर. ए. ए. ए. ए. में अपने विकास अधिकारों को ए. ए. ए. को बेच दिया।

रुपये का विचार। 32.80 करोड़;

(ii) 25 अक्टूबर 2012 को बिक्री के लिए समझौता, जिसने 1 मार्च 2012 के विकास समझौते को हटा दिया, जिसके माध्यम से एएए ने 313,928 वर्ग किलोमीटर का बिक्री योग्य क्षेत्र खरीदा। फीट। रुपये की कीमत पर ए. के. एम. ई. रागा में। 43.06 करोड़; और
(iii) 25 अक्टूबर 2012 का साइड लेटर, जिसे बेचने के समझौते के एक हिस्से के रूप में पढ़ा जाना था, जिसमें उल्लेख किया गया था कि क्षेत्र PHOENIX ARC PRIVATE LIMITED v.

क्षेत्रीय वित्तीय सेवाएं सीमित और ओ. आर. एस. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

एएए द्वारा खरीदा गया एकेएमई आरएजीए का 38.3% था, और एएए तदनुसार इसके विकास की लागत का प्रावधान करेगा।

अनिल नंदा और अरुण आनंद के बीच संबंध

23. के बीच घनिष्ठ संबंध पर ध्यान देना भी महत्वपूर्ण है

निगमित ऋणदाता के प्रमुख प्रबंधकीय कर्मचारी श्री अनिल नंदा और

स्पेड और एएए के निदेशक श्री अरुण आनंद:

(i) श्री अनिल नंदा जे. आई. पी. एल. के प्रमुख शेयरधारक हैं।

80 % निगमित देनदार में हिस्सेदारी का;

((ii) निगमित देनदार नंदा समूह का एक हिस्सा है।

कंपनियाँ;

(iii) श्री अरुण आनंद कॉर्पोरेट डेटर के निदेशक भी थे।

31 मार्च 2002 तक;

((iv) श्री अरुण आनंद और उनके बेटे श्री आदित्य आनंद ने अपनी जमीन बेच दी।

वर्ष 2004/2005 में निगमित देनदार में हिस्सेदारी;

(v) श्री अरुण आनंद के भी एक निदेशक के साथ निकट संबंध थे।

निगमित कर्जदार श्री सोनल आनंद, जो उनके भाई हैं

कानून में। सोनल आनंद कॉर्पोरेट डेटर की निदेशक थीं। नवंबर 2007 से 2013 तक; और

(vi) श्री अरुण आनंद ने विभिन्न क्षमताओं में काम किया है

श्री अनिल नंदा लगभग 25 वर्षों तक रहे।

24. कथित लेन-देन तब हुआ जब वह एक

एस्कॉर्ट्स लिमिटेड/नंदा ग्रुप ऑफ कंपनीज के कर्मचारी, जिसमें कॉर्पोरेट देनदार भी शामिल हैं और उन्होंने उक्त में प्रमुख प्रबंधकीय पदों पर भी कार्य किया है।

कंपनियाँ। स्पेड और एएए ने अपनी लिखित प्रस्तुतियों में संबंधित अवधि (जून 2009 से जनवरी 2013) के दौरान श्री अरुण आनंद के कॉर्पोरेट देनदार के साथ जुड़ाव का विवरण दिया है और उसके बाद:

सलाहकार

1 जून 2009-31 अक्टूबर 2011

रणनीतिक सलाहकार

1 नवंबर 2011-25 नवंबर 2012

26 नवंबर 2012-14 फरवरी 2013 (81 समूह सीईओ) दिन)

15 मार्च 2013 से 18 अप्रैल 2018 (सी. आई. आर. पी. तिथि) तक फरवरी 2013 से श्री अरुण आनंद का किसी भी क्षेत्र में निगमित देनदार के साथ कोई संबंध नहीं है।

जो भी तरीका हो

जी क्या स्पेड और एएए वित्तीय लेनदार हैं

कॉर्पोरेट देनदार

[2021] 15 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जी. 1 परामर्श प्रस्तुत करना

25. चुनाव लड़ने वाले पक्षों की ओर से इन कार्यवाही में उपस्थित होने वाले विद्वान वरिष्ठ वकील हैं: एसआरटी

(i) एएए और स्पेड के लिए श्री के. वी. विश्वनाथन; ((ii) फीनिक्स के लिए श्री नीरज किशन कौल; और

(iii) रिज़ॉल्यूशन प्रोफेशनल ("आर. पी".) के लिए श्री संजीव सेन।

26. श्री के. वी. विश्वनाथन का निवेदन है कि एन. सी. एल. टी. ने ए. ए. ए. और स्पेड के खिलाफ इस आधार पर निर्णय दिया कि वे वित्तीय नहीं थे।

लेनदार। इस निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए, एन. सी. एल. टी. ने माना कि दूसरे मुद्दे पर प्रवेश करना आवश्यक नहीं था जिसे उसने तैयार किया था। दूसरी ओर, एन. एल. सी. ए. टी. ने अपील में इस आधार पर कार्रवाई की कि ए. ए. ए. और स्पेड वित्तीय लेनदार हैं, लेकिन फिर यह माना गया कि वे संबंधित पक्ष हैं और इसलिए सी. ओ. सी. से बाहर किए जाने के लिए उत्तरदायी हैं। उनका समर्पण तीन गुना है:

(i) यह मुद्दा कि क्या स्पेड और एएए वित्तीय लेनदार हैं, एन. सी. एल. टी. के 31 मई 2018 के पहले के आदेश द्वारा समाप्त किया गया था जो न्यायपालिका के रूप में कार्य करता है। एन. सी. एल. टी. ने वित्तीय लेनदारों के रूप में आई. आर. पी. को अपने दावे प्रस्तुत करने के लिए ए. ए. ए. और स्पेड के आवेदनों को अनुमति दी है, यह निष्कर्ष हो सकता है

स्पष्ट निष्कर्ष कि स्पेड और एएए द्वारा जमा के रूप में कॉर्पोरेट देनदार द्वारा प्राप्त राशि वित्तीय है। ऋण और आई. आर. पी. द्वारा उनके दावे की अस्वीकृति अस्थिर थी।

(ii) यस बैंक और फीनिक्स द्वारा दायर किए गए बाद के आवेदन

इससे पहले एन. सी. एल. टी. ने केवल सी. ओ. सी. के पुनर्गठन और स्पेड और ए. ए. ए. को प्रतिनिधित्व करने, भाग लेने से प्रतिबंधित करने की मांग की थी।

या सीओसी में मतदान करें। वित्तीय लेनदारों के रूप में स्पेड और एएए की पात्रता के संबंध में मुद्दा उनके आवेदनों में कभी नहीं उठाया गया था। एन. सी. एल. टी. के समक्ष उठाया गया एकमात्र मुद्दा स्पेड और ए. ए. ए. के कॉर्पोरेट देनदार के संबंधित पक्षों के संबंध में था। हालाँकि, एन. सी. एल. टी. ने दो मुद्दे तैयार किए जिनमें वित्तीय लेनदारों के रूप में स्पेड और ए. ए. ए. की पात्रता से संबंधित एक मुद्दा शामिल है जो 31 मई 2018 को तय किया गया था; और

(iii) ए. ए. ए. और स्पेड द्वारा उन्हें सी. ओ. सी. से बाहर करने के एन. सी. एल. टी. के फैसले के खिलाफ दायर अपील में, एकमात्र मुद्दा जो डेनिक्स ए. आर. सी. प्राइवेट लिमिटेड v.

क्षेत्रीय वित्तीय सेवाएं सीमित और ओ. आर. एस. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

विचार के लिए गिर गया कि क्या वे वित्तीय थे

लेनदार। दूसरे शब्दों में, यह केवल न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के निर्धारण की शुद्धता थी कि वे थे

वित्तीय लेनदारों को नहीं, जिन पर विचार किया जा रहा था। एन. सी. एल. ए. टी. ने इस निष्कर्ष पर पहुँचने के बावजूद कि एएए और स्पेड वित्तीय लेनदार हैं, अपील को खारिज कर दिया कि वे संबंधित हैं।

पार्टियाँ।

27. उपरोक्त प्रस्तुतियों के आधार पर, श्री विश्वनाथन ने कहा है कि कार्यवाही को वापस भेज दिया जाना चाहिए।चूंकि एन. सी. एल. ए. टी. ने ए. ए. ए. और स्पेड द्वारा दायर अपील को स्वीकार करने में अधिकार क्षेत्र की त्रुटि की है, इसके बावजूद कि वे वित्तीय लेनदार हैं।

28. श्री नीरज किशन कौल का निवेदन है कि एएए और

वे कॉर्पोरेट देनदार के लेनदार नहीं हैं, बहुत कम वित्तीयआईबीसी की धारा 5 (7) के संदर्भ में। एएए और निगमित देनदार के बीच लेन-देन के संबंध में प्रस्तुतियाँ इस प्रकार हैं:

(i) 1 मार्च 2012 का विकास समझौता हुआ।

एएए और कॉर्पोरेट देनदार के बीच सांठगांठ थी। एएए ने सह-विकासकर्ता/भागीदार के रूप में एकेएमई रागा नामक परियोजना में विकास अधिकारों के 38.3% को खरीदने की मांग की थी। लेकिन सरकार द्वारा दिए गए विकास लाइसेंस को विभाजित नहीं किया जा सका। नतीजतन, कॉर्पोरेट देनदार और एएए ने विकास समझौते को एक समझौते में बदल दिया।

25 अक्टूबर 2012 को बेचने के लिए अपंजीकृत समझौता;

(ii) एएए और कॉर्पोरेट देनदार ने भूमि का सह-विकास करने और इसे बाजार में बेचने के इरादे से 25 अक्टूबर 2012 को एक गैरकानूनी साइड लेटर निष्पादित किया। साइड लेटर में उन शर्तों के समान शब्द थे जो विकास समझौते का एक हिस्सा थे। इसमें लागतों के बंटवारे के लिए शर्तें शामिल थीं -

भूमि की लागत, निर्माण, लाइसेंस और अनुमोदन, श्रमशक्ति, संपर्क लागत आदि से संबंधित परियोजना का विकास और अनुपालन के लिए जिम्मेदारियों का निर्धारण। पार्टियों का इरादा कानूनों, सरकारी नीतियों को दरकिनार करना था और

परियोजना के विकास को जारी रखने के लिए विनियम; और

(iii) शुरुआत में, श्री अरुण आनंद ने एएए के निदेशक के रूप में आईआरपी के समक्ष यह स्वीकार करते हुए अपना दावा दायर किया था कि यह न तो वित्तीय है।

लेनदार और न ही एक परिचालन लेनदार।

हालाँकि, एक

[2021] 15 एस. सी. आर. के रूप में।

बाद में श्री अरुण आनंद ने एक वित्तीय लेनदार के रूप में एक आधारहीन, गैरकानूनी और संवर्धित संशोधित दावा दायर किया। एएए का वित्तीय लेनदार होने का दावा दुर्भावनापूर्ण और बेईमान है, और केवल मतदान में हेरफेर करने के इरादे से दायर किया गया था।

सीओसी का प्रतिशत।

29. स्पेड की पात्रता के संबंध में श्री कौल की प्रस्तुतियाँ

वित्तीय लेनदार होने के नाते:

(i) स्पेड ने सांठगांठ की वास्तविक प्रकृति को छुपाया है

लेन-देन और रुपये की राशि के लिए एक वित्तीय लेनदार के रूप में एक गैरकानूनी दावा दायर किया था। 52,96,00,000 . स्पेड ने एक वित्तीय लेनदार के रूप में एक संशोधित दावा दायर किया जिसमें उसने रुपये की राशि का दावा किया था। 109,11,00,000 बिना किसी आधार के। द.

कथित के आधार पर स्पेड द्वारा दावा दायर किया गया था 12 अगस्त 2011 का समझौता ज्ञापन। खंड

2 समझौता ज्ञापन में कहा गया है:

" जबकि स्पेड ने ए. के. एम. ई. की ओर से ए. के. एम. ई. और अन्य कंपनियों को अंतर-निगमित ऋण प्रदान किया है। 26.55 पक्षों के बीच आपसी समझौते के अनुसार 24 प्रतिशत के पुनर्भुगतान योग्य ब्याज वाले करोड़ (आईसीडी)।

समझौता ज्ञापन अप्रवर्तनीय, मिलीजुली है

और यह केवल एक आंख धोना है। केवल रु. की राशि। 26.55 कथित तौर पर स्पेड और "अन्य कंपनियों" को करोड़ रुपये का अग्रिम भुगतान किया गया था। आई. सी. डी. के अनुदान को मंजूरी देते हुए स्पेड द्वारा कोई बोर्ड प्रस्ताव पारित नहीं किया गया था। 26.55 करोड़। किसी भी मामले में, कथित दावा पूरी तरह से प्रतिबंधित है; और

((ii) आई. आर. पी. ने एक दिनांकित पत्र में स्पेड के दावे को खारिज कर दिया था।

25 मई 2018 निम्नलिखित आधार पर:

(क) आई. बी. सी. की धारा 5 (8) के संदर्भ में वित्तीय ऋण का आवश्यक तत्व अनुपस्थित है, जो धन के समय मूल्य के लिए विचार है। आई. सी. डी. के पुनर्भुगतान की सटीक अवधि ज्ञापन में निर्धारित नहीं की गई है।

समझने की;

(बी) ब्याज दर और ब्याज के भुगतान का पता लगाने के लिए स्पेड द्वारा प्रदान की गई गणना पत्रक ब्याज के भुगतान के खिलाफ भुगतान के किसी भी हिस्से के समायोजन को नहीं दर्शाती है;

(ग) स्पेड द्वारा प्रदान किया गया खाता-पत्र निर्धारित नहीं करता है -

कथित ऋण पर दावा किया गया ब्याज; फीनिक्स ए. आर. सी. प्राइवेट लिमिटेड v.

क्षेत्रीय वित्तीय सेवाएं सीमित और ओ. आर. एस. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

(घ) आई. सी. डी. को कथित तौर पर 2013 में स्पेड द्वारा कॉर्पोरेट देनदार को प्रदान किया गया था; हालाँकि, प्रत्येक लेनदेन के खिलाफ धन के समय मूल्य के संदर्भ में विचार को निर्धारित करने के लिए कॉर्पोरेट देनदार और स्पेड के बीच कोई वैध वित्तीय अनुबंध नहीं किया गया था। एक वित्तीय अनुबंध है

ऋण को वित्तीय ऋण मानने के लिए आवश्यक;

(ई) गणना पत्रक दर्शाता है कि धन का अंतर्वाह और बहिर्वाह चालू खाते की प्रकृति में है, जो दर्शाता है

कि डेबिट और क्रेडिट शेष में उधार लेने का कोई व्यावसायिक प्रभाव नहीं है, जो संदर्भ में एक आवश्यक तत्व है। आई. बी. सी. की धारा 5 (8) (एफ); और

(च) स्पेड द्वारा दिनांकित 16/17 जनवरी 2013 के ईमेल में उल्लेख किया गया है कि रुपये के ऋण के विस्तार के संबंध में दस्तावेज। 2 करोड़ो को फांसी दी जानी थी। ऐसा नहीं है।

अभिलेख पर दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं।

जी. 1.1 रेस जुडिकाटा 30. प्रस्तुतियों की पंक्ति की सावधानीपूर्वक सराहना करने के लिए

31. इस पृष्ठभूमि में, हम इस निवेदन को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि 31 मई 2018 के एन. सी. एल. टी. के आदेश ने न्यायिक आधार पर कार्य किया। 8 " (5) तत्काल प्रभाव से लागू किसी अन्य कानून में इसके विपरीत कुछ भी होने के बावजूद, राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण का अधिकार क्षेत्र होगा।

मनोरंजन या निपटान करने के लिए

(क) निगमित देनदार या निगमित द्वारा या उसके विरुद्ध कोई आवेदन या कार्यवाही

व्यक्ति;

((ख) निगमित ऋणी या निगमित व्यक्ति द्वारा या उसके विरुद्ध किया गया कोई दावा, जिसमें शामिल हैं -

भारत में स्थित इसकी किसी भी सहायक कंपनी द्वारा या उसके खिलाफ दावे; और

(ग) निगम की दिवाला समाधान या परिसमापन कार्यवाही से या उसके संबंध में उत्पन्न होने वाली प्राथमिकताओं या कानून या तथ्यों का कोई प्रश्न।

इस संहिता के तहत देनदार या कॉर्पोरेट व्यक्ति। "[2021] 15 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यह आदेश फीनिक्स और यस बैंक जैसे वित्तीय लेनदारों को सुने बिना पारित किया गया था। इसलिए, यदि वे उस आदेश की शर्तों से व्यथित थे, तो वे सी. ओ. सी. से ए. ए. और स्पेड को बाहर करने के लिए एक निर्देश की मांग करने में वैध रूप से अपने अधिकारों के भीतर थे। पहले का आदेश उन्हें सुनवाई का अवसर दिए बिना पारित किया गया था।

जी. 2. एन. सी. एल. ए. टी. के समक्ष मुद्दे

32. श्री विश्वनाथन ने कहा कि वित्तीय लेनदारों के रूप में स्पेड और एएए की पात्रता का मुद्दा इससे पहले कभी नहीं उठाया गया था।

एन. सी. एल. टी. अभिलेख पर प्रस्तुत सामग्री के विपरीत है। फीनिक्स द्वारा दायर आवेदन में कहा गया है कि 31 मई 2018 का एन. सी. एल. टी. का आदेश स्पेड और ए. ए. ए. द्वारा भौतिक तथ्यों, परिस्थितियों और लेनदेन की वास्तविक प्रकृति को छिपाने पर प्राप्त किया गया था। इसके अलावा, कॉर्पोरेट देनदार के निलंबित निदेशक श्री अनिल नंदा ने एन. सी. एल. टी. के समक्ष एक आवेदन दायर किया था जिसमें आरोप लगाया गया था कि स्पेड और ए. ए. ए. निगमित देनदार को किसी भी राशि का वित्तपोषण नहीं किया है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि धन के समय मूल्य के विरुद्ध कोई ऋण सुविधा नहीं थी। इसके अलावा, उन्होंने तर्क दिया कि कॉर्पोरेट देनदार के बीच बेचने का समझौता

और एएए धोखाधड़ी के कृत्यों की श्रृंखला का एक हिस्सा था, और अमान्य है। 19 जुलाई 2019 का एन. सी. एल. टी. का आदेश दलीलों के बाद पारित किया गया था। पक्षों के बीच लेन-देन की वास्तविक प्रकृति पर।

जी. 2.3 एन. सी. एल. ए. टी. को रिमांड

33. यह निवेदन कि एन. सी. एल. ए. टी. ने अधिकार क्षेत्र से परे काम किया है

एएए और स्पेड द्वारा दायर अपील में यह पूछताछ करना कि क्या वे संबंधित पक्ष हैं, अगला पहलू है जिस पर विचार करने की आवश्यकता है। एन. सी. एल. टी. ने 19 जुलाई 2019 को अपने निर्णय में विचार के लिए दो प्रश्न तैयार किए थे। पहला यह था कि क्या एएए के बीच लेनदेन

और स्पेड धारा 5 (8) के तहत वित्तीय ऋण के रूप में माने जाने के योग्य हैं। दूसरा उस तारीख से संबंधित है जिसके संदर्भ में पक्षों के बीच संबंधों पर विचार करने की आवश्यकता है ताकि यह आकलन किया जा सके कि क्या वे संबंधित पक्ष हैं। पहले पहलू पर, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि निगमित देनदार और स्पेड के बीच लेनदेन धारा 5 (8) के तहत वित्तीय ऋण नहीं है और स्पेड धारा 5 (7) के तहत वित्तीय लेनदार नहीं है। इस निष्कर्ष का आधार निर्णय के अनुच्छेद 11.2 में निहित है, जिसे नीचे निकाला गया है:

" 11.2 अंतर-निगमित से संबंधित दस्तावेजों का अवलोकन कहा गया है कि जमा राशि स्पेड फाइनेंशियल सर्विसेज द्वारा दी गई है

° 9 सीए-224/एन. डी./2018 ई. एन. आई. एक्स. ए. आर. सी. प्राइवेट लिमिटेड v. स्पेड फाइनेंशियल सर्विसेज [माइटेड एंड ओआरएस। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

कॉर्पोरेट देनदार के लिए प्राइवेट लिमिटेड 01.06.2009 से जनवरी 2013 निम्नलिखित दिलचस्प बिंदुओं को दर्शाता है:

➤ हालांकि ऋण जून 2009 से जनवरी 2013 तक दिया गया था, लेकिन इस संबंध में समझौता ज्ञापन दिनांकित है जिसमें 24 प्रतिशत की दर से ब्याज का प्रावधान किया गया है, लेकिन यह कहा गया है कि आपसी समझौते पर केवल 12 प्रतिशत ब्याज का भुगतान किया गया था। ➤ आर. पी. के समक्ष दायर दावे पर केवल 12 प्रतिशत ब्याज दिया गया है।

दावा किया गया

➤ हालांकि प्रतिभूतियां कॉर्पोरेट देनदार की अचल संपत्ति परियोजनाओं में फ्लैटों और भूखंडों के माध्यम से प्रदान की जाती थीं, लेकिन "सुरक्षित ऋण" का शुल्क पंजीयक के पास पंजीकृत नहीं था।

इस तरह की जमा राशि को मंजूरी देने वाला कोई बोर्ड प्रस्ताव नहीं निगमित जमा और निगमित देनदार द्वारा उनकी स्वीकृति हमारे समक्ष दायर की गई है।

> आई. सी. डी. में से रु. 66 स्पेड द्वारा सीडी को दिए गए करोड़,

रु. 43.06 कहा जाता है कि सीडी के निदेशक अरुण आनंद के खाते में सहमति से करोड़ रुपये जमा किए गए थे।

उपरोक्त तथ्यों से पता चलता है कि देने से संबंधित लेन-देन

स्पेड से सी. डी. तक अंतर-निगमित जमा सांठगांठ वाला प्रतीत होता है, क्योंकि इसके लिए समझौता ज्ञापन पर लेन-देन की शुरुआत के दो साल से अधिक समय बाद हस्ताक्षर किए गए हैं, और वास्तव में ब्याज की दर जो ली जाती है वह समझौता ज्ञापन में उल्लिखित ब्याज का आधा है, साथ ही आई. सी. डी. का एक बड़ा हिस्सा स्पेड के निदेशक अरुण आनंद के खाते में जमा किया गया था। इस प्रकार, यह देखा गया है कि पूरी राशि सीडी को वितरित नहीं की गई थी और साथ ही धन के समय मूल्य के लिए विचार में भिन्नता है।

आई. आर. पी. के समक्ष दायर समझौता ज्ञापन और दावा। तदनुसार, यह

लेन-देन संहिता की धारा 5 (8) के तहत परिभाषित वित्तीय ऋण के रूप में योग्य नहीं है, और स्पेड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड संहिता की धारा 5 (7) के तहत वित्तीय लेनदार के रूप में योग्य नहीं है।

इसी तरह, कॉर्पोरेट देनदार और एएए के बीच लेन-देन पर पैराग्राफ 11.3 में चर्चा की गई और यह निष्कर्ष निकाला गया कि वे मिली-जुली प्रकृति के थे, और वित्तीय पैराग्राफ 11.3 के रूप में योग्य नहीं थे, जिसे नीचे निकाला गया है:

[2021] 15 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 11.3 लेन-देन के विवरण और एएए लैंडमार्क के साथ सीडी द्वारा दर्ज किए गए विवरण पर उपरोक्त पैरा 4.3 में विस्तार से चर्चा की गई है। यह देखा गया है कि एक ही संपत्ति के संबंध में पक्षों ने 3 वर्षों की अवधि में कई समझौते किए, जिनमें भूखंड खरीदार समझौता, समझौता ज्ञापन, विकास समझौता और अंत में,

25.10.2012 दिनांकित बिक्री के लिए समझौता। विकास द्वारा

"ए. के. एम. ई. राग" नामक परियोजना के विकास अधिकारों के 01.03.2012,38.3% दिनांकित समझौते को ए. ए. ए. को 32.80 करोड़ में बेचा गया और बाद में 25.10.2012 पर बेचने के समझौते को रुपये के बढ़े हुए मूल्य के साथ विकास समझौते को खत्म करने के लिए निष्पादित किया गया। 43.06 करोड़। की बहुलता

लेन-देन के मूल्यों में भिन्नता के संबंध में कोई स्पष्टीकरण या तर्कसंगत तर्क के बिना एक ही संपत्ति के संबंध में समझौते से पता चलता है कि ये लेनदेन भी प्रकृति में मिलीजुली हैं और एक प्रयास हैं। पार्टियों को सबसे अच्छी तरह से ज्ञात कारणों के लिए सीडी की संपत्तियों को एएए में मोड़ना। यह भी ध्यान दिया जाता है कि सीडी और एएए के साथ-साथ स्पेड के बीच लेनदेन उस अवधि के दौरान किया

गया था जब अरुण आनंद, जो अपने परिवार के सदस्यों के साथ स्पेड और एएए लैंडमार्क दोनों के प्रवर्तक और निदेशक हैं, 1982 से 2013 तक विभिन्न क्षमताओं में सीडी और इसके साथ जुड़े थे।

निदेशक और कंपनियों का समूह जिससे सीडी संबंधित है। यह केवल इसी अवधि के दौरान है जब श्री अरुण आनंद ने सीडी, स्पेड और एएए लैंडमार्क के संगठन के ज्ञापन को बढ़ावा दिया और सदस्यता ली। श्री अरुण आनंद और उनके परिवार के सदस्य

श्री अनिल नंदा समूह की कंपनियाँ। यह भी देखा गया है कि सीडी के साथ स्पेड और एएए लैंडमार्क का कथित वित्तीय लेनदेन 2009 से 2013 की अवधि के दौरान हुआ, उस समय जब वह सीडी के सलाहकार (स्पेड के माध्यम से) थे, और अपनी व्यक्तिगत क्षमता में सलाहकार और रणनीतिक सलाहकार थे। श्री अनिल नंदा ग्रुप ऑफ कंपनीज के सीईओ।

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, हमारी राय है कि

सीडी और स्पेड और एएए लैंडमार्क दोनों के बीच लेनदेन प्रकृति में मिलीजुली हैं और आईबीसी के उद्देश्यों के लिए वित्तीय ऋण के रूप में अर्हता प्राप्त नहीं करते हैं। तदनुसार, हम उस स्पेड और एएए को मानते हैं

लैंडमार्क वित्तीय लेनदारों के रूप में माने जाने के योग्य नहीं हैं।

34. यह अभिनिर्धारित करने के बाद कि कॉर्पोरेट देनदार और दूसरी ओर एएए और स्पेड के बीच लेनदेन एक वित्तीय के रूप में योग्य नहीं थे, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने दूसरे फीनिक्स एआरसी प्राइवेट लिमिटेड v पर अपनी चर्चा शुरू की।

क्षेत्रीय वित्तीय सेवाएं सीमित और ओ. आर. एस. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

यह कहते हुए जारी करें कि पहले मुद्दे पर निष्कर्ष को देखते हुए इसे "जवाब की आवश्यकता नहीं है"। हालाँकि, इसने तब नोट किया कि धारा 21 (2) के पहले प्रावधान को 6 जून 2018 से प्रभावी रूप से प्रतिस्थापित किया गया है, जिसका प्रभाव एक वित्तीय लेनदार को, जो कॉर्पोरेट देनदार का एक संबंधित पक्ष है, सी. ओ. सी. की बैठक में भाग लेने या मतदान करने से बाहर करना है। धारा 5 (24) में 'संबंधित पक्ष' की परिभाषा को अपनाने के बाद, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने अभिनिर्धारित किया:

" हमारे मन में इस बात में कोई संदेह नहीं है कि अरुण आनंद और उनकी कंपनियाँ, स्पेड और एएए लैंडमार्क, इस संगठन से संबंधित पक्ष थे।

सीडी। हालाँकि, 2013 के बाद (25.10.2012 पर हस्ताक्षरित बिक्री समझौते पर हस्ताक्षर करने के तुरंत बाद) अरुण आनंद ने अनिल नंदा समूह की सभी कंपनियों से इस्तीफा दे दिया और इसलिए वे अब सी. आई. आर. पी. का आवेदन दाखिल करते समय सी. डी. से संबंधित नहीं हैं।

35. आखिरकार, एन. सी. एल. टी. ने निष्कर्ष निकाला कि यस बैंक और फीनिक्स द्वारा दायर आवेदनों को अनुमति देनी होगी। इसका निष्कर्ष यह है कि

नीचे निकाला गया है:

" 13. इस आवेदन से अलग होने से पहले, हम यह देखना चाहेंगे कि सीडी के साथ-साथ अरुण आनंद कंपनियों के समूह के मामले गहराई से उलझे हुए हैं और न्यायाधिकरण के लिए यह मुश्किल है

एक संक्षिप्त क्षेत्राधिकार में सुलझाना-वही। यह देखते हुए कि सीडी और स्पेड और एएए 2016 से कंपनियों के पंजीयक थे, हमें यस बैंक लिमिटेड और फीनिक्स एआरसी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर तत्काल आवेदनों को अनुमति देने में कोई संकोच नहीं है।

36. एन. सी. एल. टी. के निर्णय के उपरोक्त विश्लेषण से संकेत मिलता है कि इसका प्राथमिक निष्कर्ष यह था कि न तो ए. ए. ए. और न ही स्पेड धारा 5 (8) के अर्थ के भीतर वित्तीय लेनदार हैं।

37. धारा 21 की उप-धारा (1) और (2), जहां तक सामग्री का संबंध है, निम्नानुसार है:

" 21. ऋणदाताओं की समिति। - (1) अंतरिम संकल्प

व्यावसायिक, निगमित देनदार के खिलाफ प्राप्त सभी दावों के मिलान और निगमित देनदार की वित्तीय स्थिति के निर्धारण के बाद, लेनदारों की एक समिति का गठन करेगा। (2) लेनदारों की समिति में निगमित देनदार के सभी वित्तीय लेनदार शामिल होंगे: बशर्ते कि एक संबंधित पक्ष जिस पर एक कॉर्पोरेट देनदार का वित्तीय ऋण बकाया है, उसे [2021] 15 एस. सी. आर. का कोई अधिकार नहीं होगा।

समिति की बैठक में प्रतिनिधित्व, भागीदारी या मतदान

लेनदारों का "।

38. धारा 21 की उप-धारा (2) में कहा गया है कि सी. ओ. सी. में निगमित देनदार के सभी वित्तीय लेनदार शामिल होंगे। उप-धारा (2) के पहले परंतुक को 2018 के अधिनियम 26 द्वारा 6 जून 2018 से संशोधित किया गया है। यह मानते हुए कि एएए और स्पेड वित्तीय लेनदार नहीं हैं, एनसीएलटी इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि वे सीओसी में शामिल होने के हकदार नहीं थे। 39. दूसरे मुद्दे पर, न्यायनिर्णायक प्राधिकरण का विचार था कि उसके लिए यह विचार करना वास्तव में आवश्यक नहीं था कि क्या होना चाहिए

प्राधिकरण ने पाया कि वे अब सी. आई. आर. पी. की शुरुआत के लिए आवेदन दाखिल करने के समय कॉर्पोरेट देनदार से संबंधित नहीं हैं। इसने कॉर्पोरेट देनदार और अरुण आनंद समूह की कंपनियों के मामलों में गहरी उलझन, अतीत के घनिष्ठ व्यावसायिक संबंधों और इस तथ्य पर ध्यान दिया कि कॉर्पोरेट देनदार के खातों को अंतिम रूप नहीं दिया गया था, ऑडिट नहीं किया गया था या 2016 से कंपनियों के पंजीयक के पास दाखिल नहीं किया गया था। एन. सी. एल. टी. के आदेश को देखते हुए, इस निवेदन को स्वीकार करना संभव नहीं है कि यस बैंक और फीनिक्स द्वारा दायर आवेदनों को केवल इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि वे वित्तीय लेनदार नहीं थे और संबंधित पक्षों के रूप में उनकी स्थिति के संबंध में कोई निर्धारण नहीं था। उपरोक्त चर्चा के आलोक में, हम इस निवेदन से सहमत नहीं हैं कि एन. सी. एल. ए. टी. ने संबंधित पक्षों के रूप में ए. ए. ए. और स्पेड की स्थिति के निर्धारण से संबंधित दूसरे मुद्दे पर विचार करके अपने अधिकार क्षेत्र को पार कर लिया है। इस प्रकार, हमारा मानना है कि मामले को पुनर्विचार के लिए एन. सी. एल. ए. टी. को भेजने का कोई कारण नहीं है। रिमांड का आदेश नहीं हो सकता है। इसे नियमित तरीके से पारित किया जाना चाहिए और इसे तभी पारित किया जाना चाहिए जब इस पर फिर से विचार करने की आवश्यकता हो। रिमांड का अनुचित आदेश न्याय के उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता है और केवल मुकदमेबाजी के जीवन को बढ़ाता है। वाणिज्यिक मामलों में रिमांड मुकदमेबाजी की विलासिता को कम करने के लिए एक चाल नहीं बननी चाहिए।

40. विवाद एक दलदल में गिर गया जब एन. सी. एल. ए. टी. इस आधार पर आगे बढ़ा कि यह एक स्वीकृत स्थिति थी कि ए. ए. ए. और स्पेड हैं। वित्तीय लेनदार। PHOENIX ARC PRIVATE LIMITED v के निर्णय के पैराग्राफ 11 में तथ्य का निष्कर्ष।

क्षेत्रीय वित्तीय सेवाएं सीमित और ओ. आर. एस. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

एन. सी. एल. ए. टी. का यह कहना कि यह "स्वीकृत स्थिति" स्पष्ट रूप से गलत है क्योंकि इसके विपरीत एन. सी. एल. टी. का एक स्पष्ट निष्कर्ष था। यह तथ्य कि इसके लिए एएए और स्पेड द्वारा अपील की आवश्यकता थी, यह इंगित करेगा कि यह एक स्वीकृत स्थिति नहीं थी। स्पेड और एएए द्वारा दायर अपील की सामग्री और एनसीएलएटी के समक्ष फीनिक्स द्वारा दायर जवाब से यह भी स्पष्ट है कि वित्तीय लेनदारों के रूप में स्पेड और एएए की स्थिति विवाद में थी। यह कहने के बाद, अब जो मुद्दा हमारे विचार के लिए आता है वह यह है कि क्या एएए और स्पेड को वित्तीय लेनदार माना जा सकता है।

जी3 विश्लेषण जी . 3.1
प्रासंगिक प्रावधान

41. आई. बी. सी. की धारा 5 (7) वित्तीय लेनदार को परिभाषित करती है:

" (7) " "वित्तीय लेनदार" से कोई भी व्यक्ति अभिप्रेत है जिस पर वित्तीय ऋण बकाया है और इसमें वह व्यक्ति भी शामिल है जिसे ऐसा ऋण दिया गया है।

कानूनी रूप से सौंपा गया या स्थानांतरित किया गया; "

42. आई. बी. सी. की धारा 5 (8) निम्नलिखित शब्दों में वित्तीय ऋण की परिभाषा प्रदान करती है:

" (8) " "वित्तीय ऋण" से ब्याज, यदि कोई हो, के साथ एक ऋण अभिप्रेत है, जो धन के समय मूल्य के लिए प्रतिफल के विरुद्ध वितरित किया जाता है।

और इसमें शामिल हैं

(क) ब्याज के भुगतान के बदले उधार ली गई राशि;

(बी) किसी भी स्वीकृति क्रेडिट के तहत स्वीकृति द्वारा जुटाई गई कोई भी राशि

सुविधा या इसके भौतिकीकृत समकक्ष;

(ग) किसी भी नोट खरीद सुविधा या बांड, नोट, डिबेंचर, ऋण स्टॉक या इसी तरह की किसी भी राशि के जारी होने के बाद जुटाई गई राशि।

उपकरण;

(घ) किसी पट्टे या किराया खरीद अनुबंध के संबंध में किसी भी दायित्व की राशि जिसे भारतीय लेखा मानकों या ऐसे अन्य लेखांकन के तहत वित्त या पूंजी पट्टा माना जाता है।

मानकों को निर्धारित किया जा सकता है;

(ई) गैर-सहारा आधार पर बेची गई किसी भी प्राप्य वस्तु के अलावा बेची गई या छूट प्राप्त वस्तुएँ;

(च) किसी भी अन्य लेन-देन के तहत जुटाई गई कोई भी राशि, जिसमें कोई अग्रिम बिक्री या खरीद समझौता शामिल है, जिसका वाणिज्यिक प्रभाव है।

स्पष्टीकरण।

इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए,

(i) किसी अचल संपत्ति परियोजना के तहत किसी आबंटित व्यक्ति से जुटाई गई किसी भी राशि को उधार लेने के व्यावसायिक प्रभाव वाली राशि माना जाएगा; और

अधिनियम, 2016 (2016 का 16);]

(छ) के संबंध में किया गया कोई व्युत्पन्न लेन-देन

किसी भी दर या मूल्य में उतार-चढ़ाव से सुरक्षा या लाभ और किसी भी व्युत्पन्न लेनदेन के मूल्य की गणना के लिए, केवल ऐसे लेनदेन के बाजार मूल्य को ध्यान में रखा जाएगा।

(ज) किसी बैंक या वित्तीय संस्थान द्वारा जारी गारंटी, क्षतिपूर्ति, बांड, दस्तावेजी ऋण पत्र या किसी अन्य साधन के संबंध में कोई प्रति-क्षतिपूर्ति दायित्व;

(i) उपखंड (क) से (ज) में निर्दिष्ट किसी भी मद के लिए किसी भी गारंटी या क्षतिपूर्ति के संबंध में किसी भी दायित्व की राशि।

इस खंड का; "

G. 3.2 वित्तीय लेनदार और वित्तीय ऋण

43. आई. बी. सी. की धारा 5 (7) के तहत किसी व्यक्ति को वर्गीकृत किया जा सकता है।

एक वित्तीय लेनदार के रूप में यदि उस पर वित्तीय ऋण बकाया है। आई. बी. सी. की धारा 5 (8) में कहा गया है कि वित्तीय ऋण का आवश्यक घटक धन के समय मूल्य के लिए विचार के विरुद्ध संवितरण है। यह न्यायालय, स्विस रिबन्स प्राइवेट में न्यायमूर्ति रोहिंटन एफ नरीमन के माध्यम से बोल रहा है। लिमिटेड वी. भारत संघ ने 1 0 आयोजित किया है:

" 42. "वित्तीय लेनदार" की परिभाषा का अवलोकन और " वित्तीय ऋण "यह स्पष्ट करता है कि वित्तीय ऋण ब्याज, यदि कोई हो, के साथ एक ऋण है, जो इसके विरुद्ध वितरित किया जाता है।

धन के समय मूल्य पर विचार करना। यह आगे भी हो सकता है

ऐसा धन हो जो किसी भी तरीके से उधार लिया गया हो या जुटाया गया हो।

धारा 5 (8) में या अन्यथा विहित धारा 5 (8) एक समावेशी परिभाषा है। दूसरी ओर, एक "परिचालन ऋण" में माल के प्रावधान के संबंध में एक दावा शामिल होगा या

रोजगार या भुगतान के संबंध में ऋण सहित सेवाएँ

10 (2019) 4 एस. सी. सी. 17 एनिक्स ए. आर. सी. प्राइवेट लिमिटेड v. क्षेत्रीय वित्तीय सेवाएँ और ओ. आर. एस. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

किसी कानून के तहत उत्पन्न होने वाले और सरकार को देय देय राशि या

कोई भी स्थानीय प्राधिकरण "।

(जोर दिया गया)

44. इस संदर्भ में, इसके अर्थ पर चर्चा करना प्रासंगिक होगा

आई. बी. सी. की धारा 5 (8) के मूल ई में उपयोग किए गए "वितरण" और "धन का समय मूल्य"। इस न्यायालय ने इस शब्द की व्याख्या की है

पायनियर अर्बन लैंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड बनाम यूनियन में उर्सल।

"दिया" निम्नलिखित शब्दों में:

" 70. धारा 5 (8) में "वित्तीय ऋण" की परिभाषा आगे जाती है।

यह कहने के लिए कि एक "ऋण" के खिलाफ "वितरित" किया जाना चाहिए

धन के समय मूल्य पर विचार करना। “ संवितरण "को परिभाषित किया गया है

ब्लैक के कानून शब्दकोश (10 वीं संस्करण) का अर्थ है:

" 1. धन का भुगतान करने का कार्य, आमतौर पर किसी निधि से या किसी निधि में देय ऋण या खाते का निपटान। 2. इस तरह से भुगतान किया गया पैसा;

किसी विशेष उद्देश्य के लिए दी गई राशि। 71. वर्तमान संदर्भ में, यह स्पष्ट है कि "वितरण" अभिव्यक्ति

वित्तपोषण के विशेष उद्देश्य के लिए रियल एस्टेट डेवलपर अचल संपत्ति परियोजना जिसमें आबंटित व्यक्ति को एक फ्लैट आवंटित किया जाना है

अपार्टमेंट। "वितरित" अभिव्यक्ति धन को संदर्भित करती है।

जिसका भुगतान इस समय के लिए किया गया है।

धन का मूल्य "। संक्षेप में, "वितरण" धन होना चाहिए।

और के समय मूल्य के लिए विचार के खिलाफ होना चाहिए पैसा ", जिसका अर्थ है, तथ्य यह है कि ऐसा पैसा अब है

अब ऋणदाता के पास नहीं है, बल्कि उधारकर्ता के पास है, जो

फिर पैसे का उपयोग करता है।

(जोर दिया गया)

45. दिवाला विधि समिति की 26 मार्च की रिपोर्ट

"धन का समय मूल्य" शब्द की व्याख्या पर चर्चा की है।

तय किया गया:

" की धारा 5 (8) के तहत 'वित्तीय ऋण' की वर्तमान परिभाषा

संहिता "शामिल" शब्दों का उपयोग करती है, इस प्रकार वित्तीय विधियों के प्रकार

सचित्र ऋण संपूर्ण नहीं हैं। वाक्यांश "के खिलाफ वितरित किया गया

धन के समय मूल्य पर विचार करना विषय रहा है।

संहिता के तहत केवल कुछ मुट्ठी भर मामलों में व्याख्या। द.

9) 8 एससीसी

416 [2021] 15 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

"समय मूल्य" शब्दों की व्याख्या अर्थ में की गई है

क्षतिपूर्ति या समय की अवधि के लिए भुगतान की गई कीमत

जिसे पैसा वितरित कर दिया गया है। इस में हो सकता है पैसे पर भुगतान किए गए ब्याज का रूप, या छूट की गणना

भुगतान में "।

(जोर दिया गया)

जी. 3. मिली-जुली लेन-देन

46. उपरोक्त चर्चा से पता चलता है कि ऋण के रूप में अग्रिम धन

उधारकर्ता की रसीद में होना चाहिए। उधारकर्ता धन के एक समय मूल्य के लिए विचार के साथ धन या उसके समकक्ष को वापस करने के लिए बाध्य है, जो उस अवधि के लिए देय मुआवजा या मूल्य है जिसके लिए धन उधार दिया गया है। एक लेन-देन जो नकली या मिली-जुली है, केवल एक भ्रम पैदा करेगा कि धन के समय मूल्य के रूप में प्रतिफल प्राप्त करने के उद्देश्य से एक उधारकर्ता को धन वितरित किया गया है, जब वास्तव में पक्षकारों ने

एक अलग या एक गुप्त उद्देश्य के साथ लेनदेन। दूसरे शब्दों में, पक्षों के बीच वास्तविक समझौता वित्तीय ऋण को आगे बढ़ाने के अलावा कुछ और है। "नकली लेन-देन" का एक उपयोगी विस्तार स्नूक बनाम लंदन और वेस्ट राइडिंग में डिप्लॉक एलजे की राय में पाया जा सकता है। निवेश Ltd.[1]2:

" जहाँ तक वादी के इस तर्क का संबंध है कि लेन-देन

स्वयं, ऑटो फाइनेंस और प्रतिवादियों के बीच एक "दिखावा" था।

मुझे लगता है कि इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि कानूनी अवधारणा क्या है।

इस लोकप्रिय और अपमानजनक शब्द के उपयोग में शामिल। मैं पकड़ लेता हूँ।

कि, यदि इसका कानून में कोई अर्थ है, तो इसका अर्थ है किए गए कार्य या

"छल" के पक्षकारों द्वारा निष्पादित दस्तावेज़ जो उनके द्वारा तीसरे पक्ष या अदालत को देने का इरादा है

पक्षों के बीच कानूनी अधिकार बनाने की उपस्थिति

और दायित्व वास्तविक कानूनी अधिकारों से अलग हैं और

दायित्व (यदि कोई हो) जो पक्ष बनाने का इरादा रखते हैं।

(जोर दिया गया)

डिप्लॉक एलजे ने यह भी कहा:

" लेकिन एक बात, मुझे लगता है, कानूनी सिद्धांत, नैतिकता और में स्पष्ट है

अधिकारी (यॉर्कशायर रेलवे वैगन कंपनी बनाम मैक्लर और देखें)

स्टोनलेह फाइनेंस लिमिटेड बनाम फिलिप्स), जो अधिनियमों या दस्तावेजों के लिए

12 [1967] 2 क्यू. बी. 786 एनिक्स ए. आर. सी. प्राइवेट लिमिटेड वी. क्षेत्रीय वित्तीय सेवाएँ और ओ. आर. एस. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

इससे जो भी कानूनी परिणाम सामने आते हैं, वे एक "ढोंग" हैं।

सभी पक्षों का एक समान इरादा होना चाहिए कि

अधिनियम या दस्तावेज कानूनी अधिकार बनाने के लिए नहीं हैं और

दायित्व जो वे बनाने का रूप देते हैं। नहीं। एक "शर्मनाक" के अप्रकाशित इरादे के अधिकारों को प्रभावित करते हैं

एक पार्टी जिसे उन्होंने धोखा दिया।

(जोर दिया गया)

47. यह अदालत, प्रेम चंद टंडन बनाम कृष्ण चंद मामले में

13 को यह निर्धारित करना था कि क्या एक उपयोगी बंधक एक था

वहाँ प्रत्यर्थी (उधारकर्ता) द्वारा किया गया लेन-देन

मैं लेनदारों को भुगतान करता हूँ। इस न्यायालय ने वास्तविक प्रकृति की जांच की

यह अभिनिर्धारित करने के लिए कार्रवाई कि पक्षों ने एक पूर्ववर्ती के साथ लेन-देन किया

ई. न्यायमूर्ति ए. एन. ग्रोवर ने इस न्यायालय की ओर से बोलते हुए कहा:

" जहां तक उपयोगितात्मक बंधक के लिए विचार का संबंध है,

वचन पत्र कभी पेश नहीं किए गए। यह सच है कि वहाँ था

कुछ सबूत हैं कि श्रीमती। धनता देवी [ऋणदाता] को कुछ निश्चित राशि मिली थी

उसके पति की मृत्यु पर बीमा धन लेकिन 'कुल'

इनमें से राशि रुपये से अधिक नहीं थी। 13,000 / - . भले ही वह

कुछ गहने और अन्य धन होने पर विश्वास करना मुश्किल है

कि उसने रुपये की इतनी बड़ी राशि अग्रिम रूप से दी होगी। 25,000 / - प्रत्यर्थी [उधारकर्ता] को दो वचनों के माध्यम से

10 दिसंबर, 1919 और 17 मार्च, 1920 को नोट। यह होगा।

जे. जगत नारायण ने अपने निर्णय में कहा कि वित्तीय स्थिति उस समय प्रत्यर्थी उपयोगितात्मक बंधक विलेख था

निष्पादित विभिन्न लेखों को देखते हुए काफी अच्छा था जैसे हीरे और वह कार जो उन्होंने इसके अलावा खरीदी थी

60 की अवधि के लिए 25,000/- रुपये के कब्जे के साथ गिरवी रखा गया वर्षों से। यह विश्वास करना मुश्किल था कि प्रतिवादी के पास होगा

अपनी वित्तीय स्थिति को देखते हुए इस तरह का लेन-देन किया

वर्ष 1921 में। यह समान रूप से संभावना नहीं थी कि एक व्यक्ति में काम कर रहा था

जिन शेयरों के लिए तैयार धन की आवश्यकता होगी, वे उनकी संपत्ति को बंद कर देंगे। किसी लेन-देन में विवादग्रस्त संपत्ति की तरह जो ऐसी थी कि

अवधि समाप्त होने से पहले बंधक को भुनाया नहीं जा सका साठ वर्ष की अवधि। इसलिए, बंधक को निष्पादित किया गया था

केवल एक गुप्त उद्देश्य के साथ, यह पूरी तरह से काल्पनिक है।

(जोर दिया गया)

48. आई. बी. सी. ने पहचान करने, रद्द करने या रद्द करने के प्रावधान किए हैं।

संकटग्रस्त कंपनियों द्वारा सी. आई. आर. पी. की शुरुआत की स्थिति में लेनदारों की वसूली में बाधा डालने के लिए किए गए "टालने योग्य लेनदेन" की उपेक्षा करना। इस तरह के टालने योग्य लेन-देन में शामिल हैं: (i) आई. बी. सी. की धारा 43 के तहत तरजीही लेनदेन; (ii) आई. बी. सी. की धारा 45 (2) के तहत कम मूल्यवान लेनदेन; (iii) आई. बी. सी. की धारा 49 के तहत लेनदारों को धोखा देने वाले लेनदेन; और (iv) आई. बी. सी. की धारा 50 के तहत जबरन वसूली लेनदेन। आई. बी. सी. मानता है कि एक की सफलता के लिए

दिवाला व्यवस्था, लेनदेन की वास्तविक प्रकृति का पता लगाना होगा ताकि किसी भी व्यक्ति को इसके प्रावधानों का अनुचित लाभ लेने से रोका जा सके

वैध लेनदारों के अधिकारों को नुकसान पहुँचाना।

जी. 3 स्पेड और एएए

49. श्री कौल ने तर्क दिया कि कॉर्पोरेट देनदार और स्पेड और एएए के बीच किए गए लेन-देन प्रकृति में मिलीजुली हैं और

वित्तीय ऋण का गठन न करें। श्री विश्वनाथन ने आग्रह किया है कि वित्तीय लेनदारों के रूप में स्पेड और एएए की पात्रता को एन. सी. एल. टी. द्वारा 31 मई 2018 के अपने आदेश में निर्णायक रूप से निर्धारित किया गया है। हमारे पास है। पहले से ही यह निष्कर्ष निकाला जा चुका है कि उपरोक्त

आदेश न्यायिक प्रक्रिया के तहत काम नहीं करेगा और इस मुद्दे पर विचार करना एन. सी. एल. टी. के अधिकार क्षेत्र में है।

नए सिरे से। एन. सी. एल. टी. ने 19 जुलाई 2019 के अपने आदेश में लेन-देन का विस्तृत विश्लेषण किया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि लेन-देन सांठगांठ वाले थे। हम 19 जुलाई 2019 के अपने आदेश में एन. सी. एल. टी. के निष्कर्षों से सहमत हैं। एन. सी. एल. ए. टी. ने यह भी कहा है कि "हमारी यह सुविचारित राय है कि श्री अनिल नंदा, श्री अरुण आनंद ने कंपनियों का एक जाल बनाया था जिसमें सुश्री रेणु आनंद (श्री अरुण आनंद की पत्नी) और श्री सोनल आनंद (श्री अरुण आनंद के बहनोई) सहित करीबी और प्रियजनों दोनों ने एक-दूसरे के साथ मिलकर काम किया था। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि मेसर्स अर्न्स्ट एंड यंग को 19 नवंबर 2019 को आरपी द्वारा फोरेंसिक/लेन-देन लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया था। उनकी रिपोर्ट में महत्वपूर्ण निष्कर्ष हैं:

" उपरोक्त लेन-देनों को ध्यान में रखते हुए, हम करने में असमर्थ थे

निम्नलिखित के व्यावसायिक तर्कसंगत को समझें।

स्पेड फाइनेंशियल के साथ खरीद और बिक्री लेनदेन जिसके परिणामस्वरूप

लगभग हानि। आई. एन. आर. 2.12 करोड़ से सी. डी.

अरुण आनंद और आदित्य आनंद को दिया गया किराया

14 पैराग्राफ 18 फीनिक्स ए. आर. सी. प्राइवेट लिमिटेड v. क्षेत्रीय वित्तीय सेवाएं सीमित और ओ. आर. एस. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

स्पेड फाइनेंशियल की आईसीडी शेष राशि एएए को हस्तांतरित की जा रही है

भूमि लेन-देन और संपत्ति की बिक्री के मूल्यांकन का आधार एएए लैंडमार्क

ईवाई टिप्पणियाँ:

दिवाला और दिवालियापन की धारा 66 का संदर्भ

कोड, 2016

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 66

धारा 66 (1) यदि निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान

या परिसमापन प्रक्रिया, यह पाया जाता है कि निगम का कोई भी व्यवसाय

ऋणदाता को ऋणदाताओं को धोखा देने के इरादे से चलाया गया है

निगमित देनदार या किसी धोखाधड़ी के उद्देश्य से,

निर्णय देने वाला प्राधिकरण प्रस्ताव के आवेदन पर निर्णय ले सकता है।

पेशेवर एक आदेश पारित करते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो जानबूझकर था

इस तरह से व्यवसाय करने वाले पक्षकार होंगे - निगम की परिसंपत्तियों में ऐसा योगदान करने के लिए उत्तरदायी

ऋणी जैसा वह उचित समझे।

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और जब संदर्भ में पढ़ा जाए

2016 , लेनदारों को धोखा देने के इरादे को इंगित करता है और हो सकता है संभावित धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत किया जाए। हालांकि, आर. पी.

एक स्वतंत्र मूल्यांकन करेगा कि क्या वह दाखिल करने का इरादा रखता है

न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के साथ उसी के लिए एक आवेदन

दिवाला और दिवालियापन संहिता में उल्लिखित "।

(जोर दिया गया)

50. जैसा कि एन. सी. एल. टी. द्वारा उल्लेख किया गया है, दिनांकित समझौता ज्ञापन

12 अगस्त 2011, जिसके आधार पर स्पेड ने आई. आर. पी. के समक्ष फॉर्म सी में अपना दावा दायर किया था, कथित लेनदेन शुरू होने के दो साल बाद हस्ताक्षरित किया गया था। ज्ञापन का निष्पादन इस आधार पर समझाने की कोशिश की गई कि एक औपचारिक

दस्तावेज़ आई. सी. डी. पर ब्याज की दर निर्दिष्ट करने के लिए बनाया गया था जो स्पेड द्वारा कॉर्पोरेट देनदार को दिया गया था। हालांकि, एक औपचारिक दस्तावेज के निर्माण के बावजूद, आई. सी. डी. पर ब्याज की दर 12 प्रतिशत थी जैसा कि आई. आर. पी. के समक्ष दावे में उल्लेख किया गया है, जो समझौता ज्ञापन में निर्धारित 24 प्रतिशत की ब्याज दर का आधा है। बहस के दौरान, श्री कौल और श्री सेन ने [2021] 15 एस. सी. आर. को भी पेश किया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इस न्यायालय की सूचना कि समझौता ज्ञापन है

अपंजीकृत और अपंजीकृत। आई. आर. पी. ने 25 मई 2018 के अपने पत्र में उल्लेख किया है कि स्पेड द्वारा प्रदान किए गए खाते के अनुसार, कथित ऋण पर कोई ब्याज का दावा नहीं किया गया था और कॉर्पोरेट देनदार द्वारा स्पेड को मूलधन या ब्याज के भुगतान के संबंध में कोई समायोजन नहीं किया गया था। स्पेड और एएए की ओर से दायर लिखित प्रस्तुतियों में यह प्रस्तुत किया गया है कि कॉर्पोरेट देनदार के लेखा परीक्षक अपनी बैलेंस शीट में एक नोट डाल रहे थे जिसमें कहा गया था कि एक विवाद के कारण स्पेड को 12 प्रतिशत का ब्याज नहीं दिया जा रहा था। यह प्रस्तुतिकरण वास्तव में आई. आर. पी. के निष्कर्ष को और मजबूत करता है कि कथित ऋण पर कोई ब्याज का भुगतान नहीं किया गया है। आई. आर. पी. ने अपने पत्र में यह भी उल्लेख किया है कि समझ पुनर्भुगतान की अवधि निर्धारित नहीं करती है। इसलिए, धन के समय मूल्य पर विचार नहीं किया जाता है, जो वित्तीय ऋण का एक आवश्यक घटक है। एन. सी. एल. टी. ने यह भी नोट किया है कि आई. सी. डी. का एक बड़ा हिस्सा श्री अरुण आनंद के खाते में जमा किया गया था, जिसमें कहा गया था कि पूरी राशि निगम को "वितरित" नहीं की गई थी।

देनदार। एन. सी. एल. ए. टी. ने भी अपने फैसले के पैराग्राफ 11 (आई) में इसी तरह का निष्कर्ष निकाला है। श्री विश्वनाथन ने इस निष्कर्ष पर आपत्ति जताई है।

उन्होंने तर्क दिया कि श्री अरुण आनंद के खाते में आई. सी. डी. की कोई राशि जमा नहीं की गई है और आर. पी. सहित किसी भी पक्ष द्वारा ऐसा आरोप नहीं लगाया गया है। हालांकि, यह समझौता ज्ञापन के खंड 2 के तहत नोट किया जाना है, रुपये की राशि। 26.55 न केवल कॉर्पोरेट देनदार बल्कि "एकेएमई की ओर से अन्य कंपनियों" को भी करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं। किसी भी स्थिति में, आई. सी. डी. की संपूर्णता को स्पेड को वितरित नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, आई. सी. डी. के अनुदान को मंजूरी देने के लिए स्पेड द्वारा कोई बोर्ड प्रस्ताव पारित नहीं किया गया था और ऋण पर बनाया गया शुल्क कंपनियों के पंजीयक के साथ पंजीकृत नहीं था। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम श्री कौल से सहमत होने के लिए इच्छुक हैं कि समझौता ज्ञापन एक आंख धोने वाला और मिलीजुली था। 51. एन. सी. एल. टी. ने 19 जुलाई 2019 के अपने आदेश में उल्लेख किया है कि ए. ए. ए. और निगमित देनदार ने इस संबंध में कई समझौते किए थे।

प्रतिफल में भिन्नता के संबंध में कोई स्पष्टीकरण या तर्क दिए बिना एक ही संपत्ति। इससे पता चलता है कि लेन-देन प्रकृति में मिलीजुली थे जो संपत्तियों को मोड़ने के उद्देश्य से किए गए थे।

एएए के लिए कॉर्पोरेट देनदार। श्री विश्वनाथन ने कई समझौतों की व्याख्या करने की मांग की, और तर्क दिया कि एएए ने विकास अधिकारों का 38.3% प्राप्त करने के लिए कॉर्पोरेट ऋणदाता के साथ 1 जनवरी 2012 को एक विकास समझौता किया। चूंकि विकास समझौते को लागू नहीं किया जा सका क्योंकि परियोजना के लिए लाइसेंस को PHOENIX ARC PRIVATE LIMITED v विभाजित नहीं किया जा सका।

क्षेत्रीय वित्तीय सेवाएं सीमित और ओ. आर. एस. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

दो भागों में, एक बिक्री समझौता और एक साइड लेटर निष्पादित किया गया था

25 अक्टूबर 2012। समझौते में चिन्हित और आवंटित विशिष्ट इकाइयों के संबंध में कुल एफ. एस. आई. के 38.3% के बराबर एफ. एस. आई./फ्लैट खरीदने के लिए बिक्री समझौता किया गया था। जाहिरा तौर पर, बिक्री पर विचार को फिर से बातचीत की गई और इसके तहत 32.80 करोड़ रुपये से बढ़ाया गया।

बेचना। श्री विश्वनाथन ने कहा है कि साझेदारी का कोई प्रावधान नहीं था बेचने के लिए समझौते में। हालाँकि, 25 अक्टूबर 2012 के साइड लेटर के खंड 3 से पता चलता है कि पक्षों का इरादा भूमि का सह-विकास जारी रखना था। साइड लेटर के खंड 3 में कहा गया है:

" 3. यह सहमति है कि ए. एल. पी. एल. परियोजना की लागत को संपत्ति में संबंधित विकास के हिस्से (यानी गांव-50 प्रतिशत और अन्य विकास (समूह आवास आदि)-36.33%) के समान अनुपात में साझा करेगी। परियोजना की लागत में निम्नलिखित शामिल होंगे:

ए। जमीन की कीमत

बी। लाइसेंस और अनुमोदन लागत

ई. विपणन और बिक्री संवर्धन लागत एफ. संपर्क लागत

न बिकने वाली इन्वेंट्री के लिए रखरखाव लागत

जी।

एच. ई. डी. एस. और आई. डी. सी. सहित सरकारी शुल्क और शुल्क

उसमें वृद्धि "।

ऐसा प्रतीत होता है कि पक्षों ने विकास लाइसेंस को दो भागों में विभाजित करने के कानूनी निषेध को दरकिनार करने के लिए एक साइड लेटर के साथ निष्पादित बिक्री समझौते में विकास समझौते को बदल दिया। एएए और कॉर्पोरेट देनदार के बीच लेन-देन में सांठगांठ थी

52. चूँकि स्पेड और एएए और कॉर्पोरेट देनदार के बीच वाणिज्यिक व्यवस्थाएँ प्रकृति में मिली-जुली थीं, वे नहीं करेंगी। यह एक 'वित्तीय ऋण' है। इसलिए, स्पेड और एएए कॉर्पोरेट देनदार के वित्तीय लेनदार नहीं हैं।

एच क्या स्पेड और एएए संबंधित पक्ष हैं

53. अपीलीय न्यायाधिकरण ने स्पेड और एएए को सीओसी से इस आधार पर बाहर करने के एनसीएलटी के फैसले की पुष्टि की है कि वे [2021] 15 एस. सी. आर. हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संबंधित पक्ष। जैसा कि हमने पहले देखा है, धारा 5 (24) में निहित प्रावधानों के संदर्भ में, एक ओर एएए और स्पेड और दूसरी ओर कॉर्पोरेट देनदार के बीच घनिष्ठ व्यावसायिक संबंधों पर एनसीएलटी के निर्णय में एक विशिष्ट निष्कर्ष था। एन. सी. एल. टी. के निर्णय ने व्यावसायिक मामलों में गहरी उलझन की बात की। एन. सी. एल. टी. ने विशिष्ट निष्कर्ष निकाला कि स्पेड और ए. ए. ए. कॉर्पोरेट देनदार के "संबंधित पक्ष थे" लेकिन सी. आई. आर. पी. की शुरुआत होने तक संबंध समाप्त हो गए थे। यह वह पहलू है जिस पर अब विचार किया जाना चाहिए। हम पहले विश्लेषण करेंगे कि क्या स्पेड और एएए कॉर्पोरेट देनदार के संबंधित पक्ष हैं।

एच. 1 वकील की प्रस्तुतियाँ

54. एन. सी. एल. ए. टी. के फैसले पर जोर देते हुए, श्री विश्वनाथन प्रस्तुत करते हैं:

कोई सामान्य प्रमुख प्रबंधकीय कर्मी नहीं थे या

((i)

निगमित देनदार और स्पेड और एएए के बीच लेन-देन की प्रासंगिक अवधि के दौरान निदेशक

2010 2013 तक; अपीलीय न्यायाधिकरण ने गलत निर्णय दिया है कि श्री अरुण

((ख)

आनंद आर्सेलर मित्तल इंडिया (पी) लिमिटेड बनाम सतीश में स्थापित "नियंत्रण" की कसौटी को संतुष्ट किए बिना कॉर्पोरेट देनदार के निर्णय लेने को प्रभावित करने की स्थिति में थे।

कुमार गुप्ता 1 5;

श्री अरुण आनंद केवल एक वेतनभोगी कर्मचारी थे जिनके पास कोई वेतन नहीं था।

(iii)

निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करने की क्षमता। उन्होंने किसी भी बोर्ड की बैठक में भाग नहीं लिया, और कॉर्पोरेट ऋणदाता में निदेशकों या व्यक्तियों को कोई निर्देश नहीं दिया।

(iv) श्री अरुण आनंद अनिल आनंद ग्रुप ऑफ इंडिया के समूह सीईओ थे।

केवल 81 दिनों के लिए कंपनियाँ, जो एक नाममात्र का पद भी था और एक वैधानिक पद नहीं था क्योंकि निदेशक मंडल से कोई मंजूरी नहीं थी। इसलिए, वह धारा 5 (24) (एम) (आई) के अनुसार कॉर्पोरेट ऋणदाता की किसी भी नीति बनाने की प्रक्रिया को प्रभावित नहीं कर सकता था।

(v)

जे. आई. पी. एल. और इसके माध्यम से निगमित देनदार के पास केवल 1.45% है।

स्पेड में हिस्सेदारी, जो 2 प्रतिशत की सीमा से नीचे है

धारा 5 (24) (घ);

15 (2019) 2 एस. सी. सी. 1 ए. आर. सी. प्राइवेट लिमिटेड v. स्पेड फाइनेंशियल सर्विसेज डी एंड ओआरएस। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

कॉर्पोरेट देनदार और एएए को गलत तरीके से धारा 5 (24) (ए) के अनुसार 'भागीदार' माना जाता है।

ए साबित करने के लिए उल्लिखित दो लेनदेन

धारा 5 (24) (च) के तहत संबंध वाणिज्यिक लेनदेन थे जहां कॉर्पोरेट देनदार ने तीसरे पक्ष को भुगतान करने के लिए कुदाल से पैसा उधार लिया था, जिसे ब्याज के साथ वापस किया जाता; और

धारा 5 (24 ए) का कोई अनुप्रयोग नहीं है, क्योंकि यह व्यक्तियों और साझेदारी के लिए दिवाला समाधान और परिसमापन प्रक्रिया पर लागू होती है।

एन. सी. एल. ए. टी. के फैसले का समर्थन करते हुए श्री कौल प्रस्तुत करते हैं:

श्री अरुण आनंद ने 15 दिसंबर 2003 को कॉर्पोरेट देनदार को निगमित किया, जिसके बाद श्री अरुण आनंद ने इसका अधिग्रहण किया। 2007 में अनिल नंदा। श्री अरुण आनंद ने अनिल नंदा ग्रुप ऑफ कंपनीज में भी कई पदों पर कार्य किया है।

श्री अनिल नंदा के साथ लंबे समय से संबंध;

स्पेड और एएए के साथ प्रासंगिक लेन-देन के दौरान, श्री अरुण आनंद ने कॉर्पोरेट ऋणदाता के सलाहकार या रणनीतिक सलाहकार का पद संभाला, और बाद में अनिल नंदा समूह की कंपनियों के समूह सीईओ बने (जिसमें कॉर्पोरेट ऋणदाता भी एक हिस्सा है); इस अवधि के दौरान, श्री अरुण

आनंद के बहनोई, श्री सोनल आनंद, कॉर्पोरेट डेटर के निदेशक और सीओओ थे। इसके अलावा, वे जे. आई. पी. एल. के पूर्णकालिक निदेशक भी थे, जो कॉर्पोरेट देनदार की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है और स्पेड में हिस्सेदारी रखती है।

इस अवधि के दौरान श्री अनिल नंदा प्रवर्तक/निदेशक थे।

निगमित ऋणदाता का; और स्पेड और कॉर्पोरेट देनदार के बीच चल रही मुकदमेबाजी आई. बी. सी. के लागू होने के बाद ही शुरू हुई थी,

विवाद की धारणा बनाएँ।

श्री कौल की दलीलों का श्री सेन ने समर्थन किया है।

निगमित देनदार के मूल शेयरधारकों में से दो,

श्री अरुण आनंद के साथ अब स्पेड में हिस्सेदारी और पद हैं; और [2021] 15 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

((ख)

और जे. आई. पी. एल., जिसमें जे. आई. पी. एल. ने शेयरों के हस्तांतरण के लिए स्पेड को राशि का भुगतान किया, जो कभी नहीं हुआ। यह आई. बी. सी. की धारा 66 के तहत कार्यवाही का विषय है। आर. पी.

एच. 2 सांविधिक प्रावधान

57. धारा 5 (24) में 'संबंधित पक्ष' अभिव्यक्ति की परिभाषा भ्रामक है, क्योंकि अभिव्यक्ति को "अर्थ" के रूप में परिभाषित किया गया है जो निर्धारित किया गया है।(ए) से (एम) का उपयोग करता है। 'संबंधित पक्ष' अभिव्यक्ति को अनुभाग में परिभाषित किया गया है।

) इस प्रकार है:

" (24) " निगमित ऋणी के संबंध में "संबंधित पक्ष" का अर्थ है - (क) निगमित देनदार का निदेशक या भागीदार या किसी कंपनी का रिश्तेदार।

निगमित देनदार के निदेशक या भागीदार;

(ख) निगमित देनदार या किसी रिश्तेदार का प्रमुख प्रबंधकीय कर्मचारी। निगमित देनदार के एक प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक का;

(ग) एक सीमित देयता साझेदारी या एक साझेदारी फर्म जिसमें कॉर्पोरेट देनदार या उसके रिश्तेदार का निदेशक, भागीदार या प्रबंधक हो।

एक भागीदार है;

(घ) एक निजी कंपनी जिसमें निगमित देनदार का निदेशक, भागीदार या प्रबंधक निदेशक होता है और अपने रिश्तेदारों के साथ रहता है,

दो प्रतिशत से अधिक। अपनी शेयर पूंजी से;

(ङ) एक सार्वजनिक कंपनी जिसमें निगमित देनदार का निदेशक, भागीदार या प्रबंधक निदेशक होता है और दो प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी रिश्तेदारों के साथ रखता है। इसकी चुकता शेयर पूंजी का;

(च) कोई भी निगम जिसका निदेशक मंडल, प्रबंध निदेशक या प्रबंधक, व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में, निदेशक, भागीदार या प्रबंधक की सलाह, निर्देश या निर्देशों पर कार्य करता है। निगमित देनदार;

(छ) कोई सीमित देयता साझेदारी या एक साझेदारी फर्म जिसके भागीदार या कर्मचारी व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में निदेशक, भागीदार या निदेशक की सलाह, निर्देश या निर्देशों पर कार्य करते हैं।

निगमित देनदार का प्रबंधक; (ज) कोई भी व्यक्ति जिसकी सलाह, निर्देश या निर्देश पर निगमित देनदार का निदेशक, भागीदार या प्रबंधक अभ्यस्त है।

कार्य करने के लिए; PHOENIX ARC प्राइवेट लिमिटेड v. क्षेत्रीय वित्तीय सेवाएं सीमित और ओ. आर. एस. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

समझौता; (के) कोई भी व्यक्ति जिसमें कॉर्पोरेट देनदार से अधिक नियंत्रित करता है

निगमित देनदार के निदेशक या संबंधित शासी निकाय; (एम) कोई भी व्यक्ति जो कॉर्पोरेट देनदार के साथ जुड़ा हुआ है

का लेखा

निगम की नीति निर्माण प्रक्रियाओं में भागीदारी

((i)

ऋणी; या

((ख)

दोनों के बीच दो से अधिक निदेशक होने पर

निगमित देनदार और ऐसा व्यक्ति; या (iii) निगमित देनदार और ऐसे व्यक्ति के बीच प्रबंधकीय कर्मियों का आदान-प्रदान; या

((iv)

आवश्यक तकनीकी जानकारी का प्रावधान, या से

निगमित देनदार; "

कॉरपोरेट देनदार के संबंध में धारा 5 (24) में 'संबंधित पक्ष' अभिव्यक्ति को परिभाषित किया गया है। धारा 5 (24 ए) एक संबंधित परिभाषा प्रदान करती है।

एक व्यक्ति के संबंध में।

58. परिभाषा एक परिवर्तनीय संबंध का वर्णन करती है, जिसका अर्थ है कि X, Y का एक संबंधित पक्ष हो सकता है, यदि X, Y से संबंधित है, या Y, X से संबंधित है। IBC के तहत 'संबंधित पक्ष' की परिभाषा काफी व्यापक है। इस तरह की व्यापक परिभाषा को अपनाने में विधायिका का इरादा वित्तीय लेनदार और निगमित देनदार के बीच सभी प्रकार के अंतर-संबंधों को पकड़ना था।

59. संसद द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 में सभी निगमों के लिए 'संबंधित दल' शब्द को भी परिभाषित किया गया है। की परिभाषा 1 6 16 ऋचा सराफ, 'संबंधित पार्टी की अवधारणा: आई. बी. सी. के पत्र या आत्मा द्वारा व्याख्या? ' , (इंडिया कॉर्प लॉ, 11 अगस्त 2018) पर उपलब्ध है। //इंडियाकोरप्लॉ। इन/2018/08 अवधारणा-संबंधित-पार्टी-व्याख्या-अक्षर-आत्मा-ibc। एचटीएमएल>।

प्रतिभूतियों द्वारा सूचीबद्ध संस्थाओं के लिए भी अभिव्यक्ति का विस्तार किया गया है।

भारतीय विनिमय बोर्ड लागू लेखा मानकों के तहत उल्लिखित तत्वों को शामिल करने के लिए इक्विटी लिस्टिंग समझौते में संशोधन करके। हालाँकि, वर्तमान मामले में, हम केवल आई. बी. सी. के तहत इसकी परिभाषा का आकलन कर रहे हैं, जो कि संपूर्ण है। अलग-अलग कानूनों के तहत अलग-अलग शब्द को परिभाषित करने का उद्देश्य विसंगति से बचना नहीं है, बल्कि इसलिए है क्योंकि उनमें से प्रत्येक का उद्देश्य अलग है। इसलिए, आई. बी. सी. के संदर्भ में 'संबंधित पक्ष' के अर्थ को समझते समय, यह ध्यान

रखना महत्वपूर्ण है कि इसे यह सुनिश्चित करने के लिए परिभाषित किया गया था कि वे संस्थाएं जो कॉर्पोरेट देनदार से संबंधित हैं, उनकी स्पष्ट रूप से पहचान की जा सकती है, क्योंकि उनके

उपस्थिति अक्सर दिवालिया प्रक्रिया को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है।

एच. 3 विश्लेषण

60. यह समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि क्या स्पेड और एएए प्रासंगिक अवधि के दौरान कॉर्पोरेट देनदार के संबंधित पक्ष थे

श्री अरुण आनंद और श्री अनिल नंदा के बीच संबंध। यह श्री विश्वनाथन का तर्क है कि इन व्यक्तियों के बीच कोई पूर्व संबंध नहीं थे, जिसका श्री कौल और श्री सेन ने विरोध किया है। हमने नोट किया कि श्री अरुण आनंद ने कंपनियों में कई पदों पर कार्य किया है।

अनिल नंदा ग्रुप ऑफ कंपनीज का हिस्सा हैं। इसके अलावा, श्री अनिल नंदा ने स्वयं श्री अरुण आनंद के स्वामित्व वाली कंपनियों में निवेश किया है और उनके साथ वाणिज्यिक लेनदेन किया है। स्पेड और एएए के स्वयं के प्रवेश के माध्यम से, श्री अरुण आनंद को श्री अनिल नंदा द्वारा परिपत्र अनुमोदन पर अनिल नंदा समूह की कंपनियों के समूह सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया था। अंत में, श्री अरुण आनंद के बहनोई श्री सोनल आनंद भी लगातार अनिल नंदा ग्रुप ऑफ कंपनीज की कंपनियों के साथ जुड़े रहे हैं, जिनमें कॉर्पोरेट डेटर और जे. आई. पी. एल. शामिल हैं। इन व्यक्तियों के बीच इस गहरी उलझन को एन. सी. एल. टी. और एन. सी. एल. ए. टी. द्वारा नोट किया गया था। 61. मान लीजिए, श्री अरुण आनंद प्रासंगिक अवधि के दौरान स्पेड और एएए के नियंत्रण में थे। इसके अलावा, उन्होंने कॉर्पोरेट में पदों पर कार्य किया।

देनदार या अनिल नंदा ग्रुप ऑफ कंपनीज, जिसमें कॉर्पोरेट देनदार शामिल था। श्री अनिल नंदा और श्री सोनल आनंद ने इस अवधि के दौरान कॉर्पोरेट ऋणदाता और जे. आई. पी. एल. में भी पदों पर कार्य किया।

62. उपरोक्त के आधार पर, हमारे लिए एन. सी. एल. ए. टी. के इस निष्कर्ष को स्वीकार करना मुश्किल नहीं है कि श्री अरुण आनंद एक संबंधित पक्ष होंगे धारा 5 (24) (एच) और धारा 5 (24) (एम) (आई) के अनुसार निगमित ऋणदाता का। श्री विश्वनाथन ने आर्सेलर मित्तल इंडिया (पी) लिमिटेड बनाम सतीश फोनिक्स एआरसी प्राइवेट लिमिटेड बनाम में नियंत्रण की परिभाषा पर भरोसा करके इस तर्क का खंडन करने की कोशिश की है।

क्षेत्रीय वित्तीय सेवाएं सीमित और ओ. आर. एस. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

हाथ में तथ्यों से निष्कर्ष। ये तथ्य हैं कि श्री अरुण आनंद और श्री अनिल नंदा की संस्थाओं के बीच एक गहरी उलझन थी, और श्री अरुण आनंद ने इस अवधि के दौरान पदों पर कब्जा किया था जिसका उपयोग वे कॉर्पोरेट देनदार के मामलों का मार्गदर्शन करने के लिए कर सकते थे। इस निष्कर्ष का समर्थन हमारे इस

निष्कर्ष से भी होता है कि कॉर्पोरेट देनदार और श्री अरुण आनंद के नेतृत्व वाली संस्थाओं के बीच लेन-देन प्रकृति में मिलीजुली थे। 63. इसी तरह, हमें एन. सी. एल. ए. टी. के इस निष्कर्ष को स्वीकार करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि स्पेड ने धारा 5 (24) (एफ) के तहत कॉर्पोरेट देनदार के बोर्ड/निदेशकों की सलाह/निर्देशों/निर्देशों के आधार पर दो लेनदेन किए। श्री विश्वनाथन का यह कहना कि ये विशुद्ध रूप से पक्षों के बीच वाणिज्यिक लेनदेन थे, नहीं माना जा सकता है।

इन निगमों से जुड़े व्यक्तियों के बीच अंतर्संबंध को प्रदर्शित करने वाले व्यापक इतिहास को देखते हुए इसे स्वीकार किया गया। हालांकि लेन-देन वास्तव में व्यावसायिक हो सकते हैं, लेकिन इसमें संदेह नहीं किया जा सकता है कि श्री अनिल नंदा के व्यापक प्रभाव के कारण स्पेड ने उन्हें किया था। ऊपर दिए गए हमारे विश्लेषण में, हम इसी तरह इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि इन संस्थाओं के बीच पिछले अन्य लेनदेन मिलीजुली रहे हैं।

64. अंत में, हम पहले ही मान चुके हैं कि एएए और कॉर्पोरेट देनदार के बीच लेन-देन प्रकृति में मिली-जुली थी। यह समर्थन करता है

एन. सी. एल. ए. टी. के निष्कर्षों में कहा गया है कि 25 अक्टूबर 2012 का बिक्री और पक्ष पत्र का समझौता केवल एक आंख धोने जैसा था, जिसके माध्यम से उन्होंने

एकेएमई आर. ए. ए. जी. ए. परियोजना को एक साथ विकसित करने की मांग की, जबकि सरकारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करना। अतः ए. ए. ए. धारा 5 (24) (ए) के अर्थ में निगमित ऋणदाता का भागीदार होगा।

65. इसलिए, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि श्री अरुण आनंद, स्पेड और एएए इस दौरान कॉर्पोरेट देनदार के संबंधित पक्ष थे।

प्रासंगिक अवधि जब लेन-देन जिसके आधार पर स्पेड और एएए वित्तीय लेनदारों के रूप में अपनी स्थिति का दावा करते हैं।

क्या स्पेड और एएए को सीओसी से बाहर रखा जा सकता है

66. आई. बी. सी. की धारा 21 (1) के तहत आई. आर. पी. को निगमित देनदार के सी. आई. आर. पी. के लिए सी. ओ. सी. बनाने की आवश्यकता होती है। सीओसी की सदस्यता है

धारा 21 (2) के अनुसार निर्धारित किया गया है, जो इस प्रकार है:

" (2) ऋणदाताओं की समिति में सभी वित्तीय ऋणदाता शामिल होंगे।

बशर्ते कि पहला परंतुक वित्तीय क्षेत्र के नियामक द्वारा विनियमित किसी वित्तीय लेनदार पर लागू नहीं होगा, यदि वह संबंधित है। निगमित देनदार का पक्ष केवल रूपांतरण के कारण या

ऋण को इक्विटी शेयरों या परिवर्तनीय उपकरणों में प्रतिस्थापित करना

इक्विटी शेयरों में या ऐसे लेन-देनों को पूरा करना जो हो सकता है

दिवाला शुरू होने की तारीख से पहले निर्धारित।

इसलिए, पहले परंतुक में कहा गया है कि किसी भी वित्तीय लेनदार को, दूसरे परंतुक में दिए गए अपवादों को छोड़कर, सीओसी की बैठक में प्रतिनिधित्व, भागीदारी और मतदान का कोई अधिकार नहीं होगा, यदि वह

निगमित देनदार का एक संबंधित पक्ष।

67. वर्तमान मामले में विवाद पहले परंतुक में एक संबंधित पक्ष "है" वाक्यांश की व्याख्या पर है, क्योंकि निवेदन यह है कि स्पेड और एएए अब कॉर्पोरेट के संबंधित पक्ष नहीं हैं। देनदार (भले ही पहले के निष्कर्षों के संदर्भ में वे प्रासंगिक अवधि के दौरान थे जब उनके कथित वित्तीय ऋण का गठन करने वाले लेनदेन हुए थे)।

I. 1 वकील की प्रस्तुतियाँ

68. श्री विश्वनाथन ने आग्रह किया कि उप को पहला परंतुक

धारा 21 की धारा (2) सी. ओ. सी. की बैठक में किसी वित्तीय लेनदार या वित्तीय लेनदार के अधिकृत प्रतिनिधि को प्रतिनिधित्व, भागीदारी या मतदान के अधिकार से इनकार करती है।

धारा 24 की धारा (5), यदि वह निगमित का एक संबंधित पक्ष है।

ऋणी "। कॉरपोरेट देनदार का एक संबंधित पक्ष 'है' अभिव्यक्ति पर जोर देते हुए, प्रस्तुतिकरण यह है कि कानून PHOENIX ARC PRIVATE LIMITED v की शुरुआत की मांग करने वाले आवेदन के प्रवेश की तारीख को लागू होता है।

क्षेत्रीय वित्तीय सेवाएं सीमित और ओ. आर. एस. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

सी. आई. आर. पी. इस निवेदन का समर्थन इस आग्रह के साथ करने की कोशिश की जाती है कि यदि अभिव्यक्ति एक संबंधित पक्ष है, तो इसे व्यावहारिक रूप से इसके शाब्दिक अर्थ में नहीं लिया जाता है, इसके परिणामस्वरूप इस बात पर एक अस्पष्टता पैदा होगी कि संबंध का मूल्यांकन कितने समय पहले

किया जाना चाहिए। धारा 24 की उप-धारा (2) के पहले परंतुक में उस अभिव्यक्ति का उपयोग आई. बी. सी. के अन्य प्रावधानों के विपरीत है। उदाहरण के लिए, यह प्रस्तुत किया गया है कि धारा 29ए में, जो स्पष्ट करता है कि कब कोई व्यक्ति नहीं है

एक समाधान आवेदक होने के लिए योग्य, "है" और "किया गया है" दोनों का एक संदर्भ है। खंड (ए) एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करता है जहाँ एक व्यक्ति एक व्यक्ति है।

अविमुक्त दिवालिया "; खंड (बी) एक ऐसे व्यक्ति को संदर्भित करता है जो" एक जानबूझकर चूककर्ता है "; खंड (डी) एक ऐसी स्थिति के लिए विज्ञापन करता है जहां एक व्यक्ति" दोषी "; और खंड (छ) एक ऐसे व्यक्ति को संदर्भित करता है जो" प्रवर्तक रहा है "। इसलिए, यह प्रस्तुत किया गया है कि खंड 29ए विभिन्न उपखंडों के अनुप्रयोग में "है" "से अलग" "रहा है" "अभिव्यक्ति का उपयोग करता है। धारा 43 (4) का संदर्भ दिया गया है जो तरजीही लेन-देन से संबंधित है और जिसमें दो साल की अवधि शामिल है। संदर्भ

वर्तमान में एक संबंधित पक्ष होना वैधानिक प्रावधान की आवश्यकता है। 69. श्री विश्वनाथन द्वारा आग्रह की गई दलीलों का विरोध करते हुए श्री कौल ने कहा कि धारा 21 (2) के प्रावधानों को एक उद्देश्यपूर्ण व्याख्या प्राप्त होनी चाहिए। श्री कौल ने आग्रह किया है कि यदि ऐसा नहीं किया गया तो आई. बी. सी. के प्रावधानों को वाणिज्यिक कलाकृतियों और युक्तियों को अपनाकर विफल कर दिया जाएगा। उन्होंने आग्रह किया कि अदालत द्वारा अपनाई गई व्याख्या से कानून के उद्देश्यों को पूरा करने में सुविधा होनी चाहिए न कि विफल होना चाहिए। हम उन कारणों के लिए इस प्रस्तुति से सहमत होने के लिए इच्छुक हैं जिनके बारे में हम विस्तार से बताते हैं।

1.2 संबंधित दल और सी. ओ. सी.

धारा 21 (1) आई. आर. पी. से अपेक्षा करती है कि वह वित्तीय प्रावधानों के विरुद्ध प्राप्त दावों का मिलान करने और उनका निर्धारण करने के बाद एक सी. ओ. सी. का गठन करे। निगमित देनदार की स्थिति। सी. ओ. सी. में सभी वित्तीय [2021] 15 एस. सी. आर. शामिल होने चाहिए।

निगमित देनदार के लेनदार। 'वित्तीय लेनदार' शब्द को धारा 5 (7) में परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ है कोई भी व्यक्ति जिसे वित्तीय ऋण देना है और इसमें एक ऐसा व्यक्ति शामिल है जिसे ऐसा ऋण कानूनी रूप से सौंपा गया है या हस्तांतरित किया गया है। 'वित्तीय ऋण' शब्द को धारा 5 (8) में परिभाषित किया गया है। धारा 28 के तहत, समाधान पेशेवर को विशेष रूप से कुछ पहलुओं पर सी. ओ. सी. का पूर्व अनुमोदन लेना आवश्यक है। धारा 28 (1) निम्नलिखित प्रावधान करती है:

" 28. (1) तत्काल प्रभाव से लागू किसी अन्य कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद, समाधान पेशेवर, निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान, इनमें से कोई भी नहीं लेगा।

ऋणदाताओं की समिति के पूर्व अनुमोदन के बिना निम्नलिखित कार्य अर्थात्: (क) जितनी राशि हो सके उससे अधिक कोई भी अंतरिम वित्त जुटाना।

लेनदारों की समिति द्वारा उनकी बैठक में निर्णय लिया गया;

(ख) निगमित देनदार की परिसंपत्तियों पर कोई प्रतिभूति ब्याज सृजित करना;

(ग) निगमित देनदार की पूंजी संरचना में परिवर्तन करना, जिसमें अतिरिक्त प्रतिभूतियों को जारी करना, प्रतिभूतियों का एक नया वर्ग बनाना या जारी की गई प्रतिभूतियों को वापस खरीदना या उनका मोचन करना शामिल है।

मामला कॉर्पोरेट देनदार एक कंपनी है;

(घ) निगमित देनदार के स्वामित्व हित में किसी भी परिवर्तन को दर्ज करें;

(च) कोई भी संबंधित पक्ष लेनदेन करना;
(छ) निगमित देनदार के किसी भी संवैधानिक दस्तावेज में संशोधन;

((i) निगमित देनदार या उनके नामितों के किसी भी शेयरधारक के शेयरों का तीसरे पक्ष को निपटान या निपटान करने की अनुमति देना;
(जे) निगमित देनदार के प्रबंधन में कोई बदलाव करना।

या उसकी सहायक;

(के) व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम के अलावा भौतिक अनुबंधों के तहत हस्तांतरण अधिकार या वित्तीय ऋण या परिचालन ऋण; PHOENIX ARC PRIVATE LIMITED v.

क्षेत्रीय वित्तीय सेवाएं सीमित और ओ. आर. एस. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

(1) लेनदारों की समिति द्वारा निर्दिष्ट ऐसे कर्मियों की नियुक्ति या अनुबंध की शर्तों में परिवर्तन करना; या (एम) सांविधिक
लेखा परीक्षकों या निगमित देनदार के आंतरिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति या अनुबंध की शर्तों में परिवर्तन करना।

व्यक्तिगत लेनदार कार्रवाई को रोकना। लेनदार का सौदा सिद्धांत इसलिए, सामूहिककरण के माध्यम से समूह कल्याण को अधिकतम करने के लिए काम करता है।

71. भारत में, सी. आई. आर. पी. शुरू होने के बाद आई. बी. सी. सी. ओ. सी. के माध्यम से संचालित सी. आई. आर. पी. को अपनाता है। लेनदार के सौदे के अलावा

सिद्धांततः, आई. बी. सी. की रूपरेखा कोलंबिया लॉ रिव्यू में अकादमिक लेखन के एक प्रभावशाली अंश में कोरोबकिन 2 1 द्वारा प्रतिपादित मूल्य आधारित सिद्धांत से भी प्रभावित है, जिसके तहत दिवाला कानून उन लोगों पर समापन के वितरण प्रभाव पर विचार करता है जिनके पास व्यवसाय की परिसंपत्तियों पर औपचारिक कानूनी अधिकार नहीं हो सकते हैं। इस सिद्धांत के तहत दिवालियापन कानून का उद्देश्य विभिन्न दावेदारों के बहुआयामी लेकिन परस्पर विरोधी हितों को ध्यान में रखना है, और एक ऐसा समाधान प्रदान करना है जिसके तहत प्रत्येक दावेदार इष्टतम मूल्य प्राप्त करता है।

17 थॉमस एच. जैक्सन, 'दिवालियापन, गैर-दिवालियापन अधिकार, और लेनदार सौदेबाजी', 91 येल लॉ जर्नल 857, (1982) 859-71 पर। 18 नोट 18 पर सुप्रा, पृष्ठ 1855-1856। 19 1 9 मेधा शेखर और अनुराधा गुरु, दिवालिया कानून की सैद्धांतिक रूपरेखा, यहाँ उपलब्ध है: //डब्ल्यू. डब्ल्यू. इबिबि। गव. इन/अपलोड/संसाधन/9 सीई 9 सीसीएफ 9 एफ 114750879 बी6

8c8a33235ca6। पी. डी. एफ.>, पृष्ठ 52 पर। 2 0 20 डगलस जी. बेयर्ड, 'दिवालियापन के बिना एक दुनिया', 50 कानून और समकालीन समस्याएं, स्प्रिंग 1987,184 पर। 21 21 डी. आर. कोरोबकिन, पुनर्वास मूल्य: दिवालियापन का न्यायशास्त्र, 91 कोलंबिया लॉ रिव्यू (1991), पी। 717 .

22 नोट 20 पर सुप्रा।

72. सी. ओ. सी. में ऋण और ऋण अनुबंधों के तहत वित्तीय लेनदार शामिल हैं, जिन्हें निर्णयों पर मतदान करने का अधिकार है और परिचालन लेनदार जैसे कर्मचारी, किराये के दायित्व, उपयोगिताओं के भुगतान और

ट्रेड क्रेडिट, जो सी. ओ. सी. में भाग ले सकते हैं, लेकिन उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं है। सी. ओ. सी. का उद्देश्य विभिन्न संस्थाओं के बीच समन्वय स्थापित करना है।

लेनदार यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी हितधारकों के हित संतुलित हों और वित्तीय संकट में इकाई की परिसंपत्तियों का मूल्य अधिकतम हो।

73. नवंबर 2015 की दिवालियापन कानून सुधार समिति (खंड I: तर्क और डिजाइन) की रिपोर्ट में सभी लेनदारों की देनदारियों को पूरा करने की आवश्यकता को रेखांकित किया गया है, जो सी. आई. आर. पी. का हिस्सा नहीं हैं, और सी. ओ. सी. 2,3 द्वारा संचालित सामूहिक दिवालियापन समाधान प्रक्रिया के

माध्यम से सभी लेनदारों के अधिकारों के साथ निष्पक्ष व्यवहार करने की आवश्यकता है। रिपोर्ट ने इसे निम्नलिखित शब्दों में मान्यता दी:

" [तीन मुख्य विशेषताएं जो सबसे अच्छी तरह से विकसित दिवालियापन और दिवाला समाधान व्यवस्थाएँ साझा करती हैं: एक रैखिक प्रक्रिया जिसका पालन लेनदार और देनदार दोनों तब करते हैं जब दिवालियापन शुरू हो जाता है;

आर्थिक संरक्षण के लिए सभी हितधारकों के लिए समानता और निष्पक्षता के ढांचे के भीतर दिवाला को हल करने के लिए सामूहिक तंत्र प्रक्रिया में मूल्य; एक समयबद्ध प्रक्रिया या तो फर्म को एक चालू उद्यम के रूप में रखने में समाप्त होती है, या विभिन्न हितधारकों को परिसंपत्तियों का परिसमापन और वितरण करती है। ये विशेषताएं संरचना और विषय-वस्तु में व्यापक अंतरों में आम हैं, जो या तो वैधानिक प्रावधानों के माध्यम से या उनके कार्यान्वयन के माध्यम से मौजूद हैं।

अभ्यास करें

ये विशेषताएं प्रक्रिया में निश्चितता सुनिश्चित करती हैं, जिसकी शुरुआत दिवालियापन से होती है, और दिवालियापन को हल करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रियाएं, या दिवालियापन को हल करने की प्रक्रिया एक बार निर्धारित हो जाने के बाद। सही ढंग से किया गया, इस तरह की एक रूपरेखा हो सकती है

सभी हितधारकों को बातचीत में तर्कसंगत व्यवहार करने के लिए प्रोत्साहित करना।

व्यवहार्यता के निर्धारण की दिशा में, या दिवालियापन समाधान में। बदले में, यह वसूली के लिए कम समय और दिवालियापन के तहत बेहतर वसूली और ऋणदाताओं के अधिकारों के बारे में अधिक निश्चितता की ओर ले जाएगा।

एक निगमित ऋण बाजार का विकास करना।

74. आई. बी. सी. का लंबा शीर्षक अधिकतम मूल्य के उद्देश्य से एक सामूहिक प्रक्रिया के महत्व को रेखांकित करता है। आई. बी. सी. को इस प्रकार अधिनियमित किया गया है: 23 दिवालियापन कानून सुधार समिति, खंड I: नवंबर 2015 का तर्क और डिजाइन, पृष्ठ 29।

फीनिक्स ए. आर. सी. प्राइवेट लिमिटेड वी. क्षेत्रीय वित्तीय सेवाएं सीमित और ओ. आर. एस. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

" संबंधित कानूनों को समेकित और संशोधित करने के लिए एक अधिनियम निगमित व्यक्तियों का पुनर्गठन और दिवाला समाधान,

समयबद्ध तरीके से साझेदारी फर्मों और व्यक्तियों के लिए

ऐसे व्यक्तियों की परिसंपत्तियों के मूल्य को अधिकतम करना, बढ़ावा देना

उद्यमिता, ऋण की उपलब्धता और सभी हितधारकों के हितों को संतुलित करना जिसमें सरकारी बकाया के भुगतान की प्राथमिकता के क्रम में परिवर्तन और भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड की स्थापना और संबंधित मामलों के लिए शामिल हैं।

इसके साथ या उससे आनुषंगिक।

75. ये उद्देश्य आई. बी. सी. की धारा 21 द्वारा निर्देशित सी. ओ. सी. की संरचना को रेखांकित करते हैं। संहिता के उद्देश्य और उद्देश्य हैं - सबसे अच्छी सेवा तब मिलती है जब सी. आई. आर. पी. बाहरी लेनदारों द्वारा संचालित होता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सी. ओ. सी. को कॉर्पोरेट देनदार के संबंधित पक्षों द्वारा तोड़-फोड़ नहीं किया गया है। यह धारा 21 (2) के पहले प्रावधान के पीछे का इरादा है जो किसी वित्तीय लेनदार या वित्तीय लेनदार के अधिकृत प्रतिनिधि को अयोग्य ठहराता है।

धारा 24 की उप-धारा (6) या उप-धारा (6ए) या उप-धारा (5) के तहत, यदि वह निगमित देनदार का संबंधित पक्ष है, तो उसे लेनदारों की समिति की बैठक में प्रतिनिधित्व, भागीदारी या मतदान का कोई अधिकार नहीं है।

76. चूंकि आई. बी. सी. सभी के हितों को संतुलित करने का प्रयास करता है

हितधारक, जैसे कि कुछ हितधारक दूसरों की कीमत पर लाभ उठाने में सक्षम नहीं होते हैं, संबंधित पक्ष के वित्तीय लेनदारों को सी. ओ. सी. में प्रतिनिधित्व करने, भाग लेने या मतदान करने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, ताकि उन्हें कॉर्पोरेट देनदार को अनुचित रूप से लाभान्वित करने के लिए सी. ओ. सी. को नियंत्रित करने से रोका जा सके।

77. यह ध्यान देने योग्य है कि सी. ओ. सी. के सदस्य होने से संबंधित पक्षों की अयोग्यता की भी अनुशंसा की गई है। दिवाला कानून 2 6 पर UNCITRAL विधायी मार्गदर्शिका:

" दिवाला कानून में उन लेनदारों को निर्दिष्ट किया जाना चाहिए जो पात्र हैं

एक समिति में नियुक्त किया जाना। लेनदार जो नहीं हो सकते हैं

लेनदार समिति में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों में संबंधित व्यक्ति शामिल होंगे।

24 दिवाला विधि समिति की रिपोर्ट, मार्च 2018, पृष्ठ 23, पैरा 1.25। 25 विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी, अंडरस्टैंडिंग द इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016: न्यायशास्त्र में विकास का विश्लेषण, यहाँ उपलब्ध है: //विधिलेगल नीति। इन/रिसर्च/अंडरस्टैंडिंग-द-इन्सॉल्वेंसी-एंड-बैंकरप्सी-कोड-2016-पेज 34 पर-इन-ज्यूरिसप्रूडेंस/> के विकास का विश्लेषण।

26 यू. एन. सी. आई. टी. आर. ए. एल., दिवाला कानून पर विधायी मार्गदर्शिका, 2005, यहाँ उपलब्ध है: // असंकलित। एक. ओ. आर. जी./साइट/अनसिट्रल। एक. ओ. आर. जी./फाइल/मीडिया-दस्तावेज़/अनसिट्रल/एन/05

80722_ई-बुक। पी. डी. एफ.>, पृष्ठ 204 पर।

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

दिवाला कानून को यह निर्दिष्ट करना चाहिए कि लेनदार का दावा है या नहीं। लेनदार के समिति में नियुक्त होने के हकदार होने से पहले इसे स्वीकार किया जाना चाहिए।

कानून की व्याख्या करने में, जो कॉर्पोरेट के संकल्प में संरचनात्मक परिवर्तन लाने के लिए एक संसदीय प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है दिवाला, अदालत का प्रयास आई. बी. सी. के उद्देश्यों को पूरा करने में सहायता करने के लिए होना चाहिए।

1.3 धारा 21 (2) के प्रथम प्रावधान में संशोधन

78. मूल रूप से, धारा 21 (2) का पहला परंतुक इस प्रकार है: " बशर्ते कि एक संबंधित पक्ष जिसे एक कॉर्पोरेट देनदार वित्तीय ऋण देना है, उसे प्रतिनिधित्व का कोई अधिकार नहीं होगा,

लेनदारों की समिति की बैठक में भाग लेना या मतदान करना।

79. भाषा को बाद में संशोधन अधिनियम, 2018 द्वारा संशोधित किया गया था और वर्तमान में पहला परंतुक इस प्रकार है:

" बशर्ते कि धारा 24 की उप-धारा (6) या उप-धारा (6ए) या उप-धारा (5) में निर्दिष्ट वित्तीय लेनदार या वित्तीय लेनदार के अधिकृत प्रतिनिधि को, यदि वह निगमित देनदार का संबंधित पक्ष है, प्रतिनिधित्व का कोई अधिकार नहीं होगा। लेनदारों की समिति की बैठक में भाग लेना या मतदान करना।

80. संशोधन का कारण धारा 21 (2) के पहले परंतुक में अयोग्यता को धारा 21 (6), 21 (6ए) और धारा 24 (5) में उल्लिखित वित्तीय लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधियों तक बढ़ाने की आवश्यकता प्रतीत होती है। दिवाला द्वारा इसकी सिफारिश की गई थी विधि समिति ने मार्च 2018 की अपनी रिपोर्ट में कहा था:

" 10. 6 कुछ प्रतिभूतियों के लिए, एक ट्रस्टी या एक एजेंट पहले से ही हो सकता है सुरक्षा उपकरण की शर्तों के अनुसार नियुक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए, एक डिबेंचर ट्रस्टी की नियुक्ति की जाएगी यदि 500 से अधिक डिबेंचर जारी किए गए हैं या यदि सुरक्षित डिबेंचर जारी किए गए हैं। ऐसे लेनदारों का प्रतिनिधित्व ऐसे पूर्व-नियुक्त न्यासियों या एजेंटों के माध्यम से किया जा सकता

है। लेनदारों के अन्य वर्गों के लिए जो संख्या में एक निश्चित सीमा से अधिक हैं, जैसे कि घर खरीदार या प्रतिभूति धारक जिनके लिए ऋण के तहत पहले से ही कोई ट्रस्टी या एजेंट नियुक्त नहीं किया गया है।

साधन या अन्यथा, आई. आर. पी. के अनुरोध पर एन. सी. एल. टी. द्वारा एक दिवाला पेशेवर (आई. आर. पी. के अलावा) की नियुक्ति की जाएगी। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि एजेंट या ट्रस्टी या ENIX ARC प्राइवेट लिमिटेड v के रूप में।

क्षेत्रीय वित्तीय सेवाएँ और ओ. आर. एस. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

दिवाला पेशेवर, अर्थात, ऊपर चर्चा किए गए लेनदारों के लिए अधिकृत प्रतिनिधि और निष्पादक,

जैसा कि इस रिपोर्ट के पैराग्राफ 9 में चर्चा की गई है, गारंटर आदि सी. ओ. सी. का हिस्सा होंगे, वे परंतुक की भावना के अनुरूप कॉर्पोरेट देनदार से संबंधित पक्ष नहीं हो सकते हैं - धारा 21 (2)।

10.7 सीए 2013 की धारा 71 (6) डिबेंचर न्यासी को डिबेंचर धारकों के हितों की रक्षा करने और उनकी शिकायतों के निवारण के लिए कदम उठाने के लिए बाध्य करती है। डिबेंचर ट्रस्टी और डिबेंचर धारकों की बैठकों के संबंध में प्रावधान ट्रस्ट विलेख के अनुसार होते हैं। कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 ("जमा नियम") में प्रावधान है कि जमा न्यासी आवश्यकता पड़ने पर जमा धारकों की बैठक बुला सकता है और चूक की किसी भी घटना पर बैठक बुलाने के लिए विशिष्ट शक्ति प्रदान करता है। हालांकि न्यासियों को पहले से ही व्यापक शक्तियां दी गई हैं, सीए 2013 के तहत डिबेंचर और जमा के लिए संबंधित नियमों को संहिता और सीआईआरपी नियमों/सीआईआरपी विनियमों में संशोधन के अनुरूप संशोधित करने की आवश्यकता हो सकती है ताकि इस पर स्पष्टता प्रदान की जा सके।

ऋणपत्र न्यासियों को लेनदारों की ओर से सी. आई. आर. पी. की शुरुआत के लिए फाइल करने और उनकी ओर से मतदान करने का अधिकार देना। 10.8 उपरोक्त विचार-विमर्श के आलोक में, समिति ने महसूस किया कि आदेश देने के लिए संहिता में एक तंत्र प्रदान करने की आवश्यकता है

प्रतिभूति धारकों, जमा धारकों और वित्तीय लेनदारों के अन्य सभी वर्गों की बैठकों में प्रतिनिधित्व जो एक निश्चित संख्या से अधिक है, एक अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से। यह संहिता की धारा 21 में एक नया प्रावधान जोड़कर किया जा सकता है। इस तरह की प्रतिनिधि या तो न्यासी हो सकता है या ऐसे लेनदारों के ऋण समझौते की शर्तों के तहत नियुक्त एजेंट हो सकता है, अन्यथा वित्तीय लेनदारों के ऐसे प्रत्येक वर्ग के लिए एन. सी. एल. टी. द्वारा एक दिवाला पेशेवर नियुक्त किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, प्रतिनिधि संबंधित वर्ग की ओर से कार्य करेगा और बैठकों में भाग लेगा।

वित्तीय लेनदारों के लिए और प्रत्येक वित्तीय लेनदार की ओर से ऐसे प्रत्येक लेनदार के मतदान हिस्से की सीमा तक और उनके निर्देशों के अनुसार मतदान करेगा। वित्तीय लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए, ऐसे अधिकृत प्रतिनिधियों के अधिकारों और कर्तव्यों को

निर्धारित करने वाला एक विशिष्ट प्रावधान जोड़ा जा सकता है। इसके अलावा, लेनदारों की संख्या के लिए आवश्यक सीमा और [2021] 15 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मतदान को सक्षम करने के लिए आईबीबीआई द्वारा नियमों के माध्यम से निर्दिष्ट किया जा सकता है। प्रतिनिधि द्वारा कुशल मतदान।
इसके अलावा, विनियमन 25 मई

ई-मेल के रूप में, किसी भी तकनीकी समस्या को संबोधित करने के लिए जो इसके कारण उत्पन्न हो सकती है बड़ी संख्या में लेनदार
एक ही समय में मतदान करते हैं।

(जोर दिया गया)

81. नतीजतन, धारा 21 (2) के पहले परंतुक में संशोधन किया गया।

विनिर्दिष्ट अधिकृत प्रतिनिधियों को अयोग्यता का विस्तार करने के लिए, यदि ये प्रतिनिधि निगमित देनदार के संबंधित पक्षकार थे। संबंधित दल के साथ "है" वाक्यांश की शुरूआत संसदीय संशोधन के पीछे एक मार्गदर्शक कारक नहीं था।

I. 4 संबंधित दल-प्रेसेन्टी में व्याख्या

82. के पहले परंतुक के संबंध में व्याख्या का मुद्दा

धारा 21 (2) यह है कि क्या परंतुक के तहत अयोग्यता केवल व्यवहार में एक वित्तीय लेनदार से जुड़ी होगी, या यदि अयोग्यता उन वित्तीय लेनदारों पर भी लागू होती है जो कॉर्पोरेट से संबंधित थे। ऋण लेने के समय ऋणी।

83. आर्सेलर मित्तल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम सतीश कुमार

गुप्ता (ऊपर), मुद्दा यह था कि क्या प्रस्ताव की अयोग्यता

सी. आई. आर. पी. शुरू होने की तारीख या समाधान आवेदक द्वारा समाधान योजना प्रस्तुत किए जाने के समय किसी आवेदक से जुड़ी संहिता की धारा 29-ए (सी) के तहत आवेदक। इस न्यायालय की ओर से बोलते हुए, न्यायमूर्ति रोहिंटन एफ नरीमन ने धारा 29-ए (सी) को तैयार करते हुए 2018 से पहले के संशोधन की व्याख्या निम्नलिखित शब्दों में की:

29 - ए उस समय के बारे में एक संकेत प्रदान करता है जिस पर खंड (सी) संचालित होना है। धारा 29 के प्रारंभिक शब्द-ए में कहा गया है: एक व्यक्ति नहीं होगा

समाधान योजना प्रस्तुत करने के लिए पात्र। " इसलिए यह स्पष्ट है कि अयोग्यता का चरण तब जुड़ता है जब समाधान योजना

एक संकल्प आवेदक द्वारा प्रस्तुत। व्यक्त किया गया विपरीत दृष्टिकोण

श्री रोहतगी द्वारा लिखी गई तारीख स्पष्ट रूप से गलत है।

निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया की शुरुआत है

केवल यह गणना करने के उद्देश्य से प्रासंगिक है कि क्या एक वर्ष है

निष्पादित परिसंपत्ति। इसके अलावा, उपयोग की जाने वाली अभिव्यक्ति "है" है, जो डॉ. सिंघवी ने सही तर्क दिया है, वह प्रेजेंटी में हैं।

यह PHOENIX ARC प्राइवेट लिमिटेड v होना है। क्षेत्रीय वित्तीय सेवाएं सीमित और ओ. आर. एस. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

"किया गया है" अभिव्यक्ति के विपरीत, जिसका उपयोग खंड (डी) और (जी) में किया जाता है, जो समय के पूर्ववर्ती बिंदु को संदर्भित करता है। नतीजतन, 2018 का संशोधन "के समय" शब्दों को पेश करता है

समाधान योजना प्रस्तुत करना "स्पष्ट करने वाला है, क्योंकि यह था

हमेशा उस समय के बारे में सही व्याख्या जिस पर धारा 29-ए के खंड (सी) में अयोग्यता संलग्न होगी।

84. इस प्रकार, प्रत्यक्ष रूप से, यह प्रतीत होता है कि धारा 21 (2) के पहले परंतुक में सरल वर्तमान काल का उपयोग इंगित करता है कि अयोग्यता

प्रेजेंटी में लागू होता है। इसके अलावा, यह व्याख्या भी होगी धारा 5 (24) के तहत 'संबंधित पक्ष' की परिभाषा के आलोक में धारा 21 (2) के पहले परंतुक को पढ़ने द्वारा समर्थित, जो वर्तमान काल में संबंधित पक्ष को परिभाषित करने के लिए 'कार्य करने के लिए अभ्यस्त है' या 'संबंधित है' जैसे वाक्यांशों का उपयोग करता है।

85. हालांकि, यह जांच करना प्रासंगिक है कि जिस उद्देश्य और उद्देश्य के लिए परंतुक लागू किया गया था, वह शाब्दिक रूप से पूरा होता है या नहीं।

पहले प्रावधान की व्याख्या। जस्टिस जी. पी. सिंह ने क़ानूनों की व्याख्या पर अपनी आधिकारिक टिप्पणी, सांविधिक व्याख्या के सिद्धांत 27 में कहा है कि:

" इस प्रकार विधानमंडल की मंशा दो पहलुओं को आत्मसात करती है: एक पहलू में यह 'अर्थ' की अवधारणा रखता है, यानी शब्दों का क्या अर्थ है और दूसरे पहलू में यह 'उद्देश्य' की अवधारणा को व्यक्त करता है। और कानून के माध्यम से व्याप्त वस्तु 'या' कारण और आत्मा '। निर्माण की प्रक्रिया, इसलिए, शाब्दिक और दोनों को जोड़ती है।

उद्देश्यपूर्ण दृष्टिकोण। दूसरे शब्दों में विधायी आशय, अर्थात किसी अधिनियम का सही या कानूनी अर्थ किसी भी अधिनियम के प्रकाश में अधिनियम में उपयोग किए गए शब्दों के अर्थ पर विचार करके प्राप्त किया जाता है।

स्पष्ट उद्देश्य या उद्देश्य जो शरारत को समझता है

और इसका उपाय जिसके लिए अधिनियम निर्देशित किया गया है। इस सूत्रीकरण को बाद में सर्वोच्च न्यायालय की मंजूरी मिली और इसे "निर्माण का प्रमुख सिद्धांत" कहा गया।

उन्होंने नोट किया कि कुछ अधिनियमों के उद्देश्यों और उद्देश्यों को प्रभावी बनाने के लिए एक उदार निर्माण की आवश्यकता होती है:

" शब्दों की एक नंगी यांत्रिक व्याख्या और उद्देश्य की अवधारणा से रहित विधायी इरादे के अनुप्रयोग से अधिकांश उपचारात्मक और लाभकारी कानून व्यर्थ हो जाएंगे। जैसा कि कहा गया है

27 जी. पी. सिंह, वैधानिक व्याख्या के सिद्धांत (पहला संस्करण, लेक्सिस नेक्सिस 2015)

[2021] 15 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अय्यर, जे. "शाब्दिक अर्थ में त्वचा को देखना और आत्मा को याद करना है। निर्माण की न्यायिक कुंजी देह और प्रावधान की देह की समग्र धारणा है। यहाँ तक कि निर्माण में भी

कार्यवाहियों की शुरुआत के लिए सीमा की अवधि निर्धारित करने वाले अधिनियम जैसे कि जहां उद्देश्य केवल लोगों को यह सूचित करना है कि एक निश्चित घटना से एक निश्चित समय के अंतराल के बाद एक कार्यवाही पर विचार नहीं किया जाएगा और जहां एक सख्त व्याकरणिक निर्माण आम तौर पर एकमात्र सुरक्षित मार्गदर्शक है, एक शाब्दिक और यांत्रिक निर्माण की अवहेलना करनी पड़ सकती है यदि यह निष्पक्ष खेल और प्राकृतिक न्याय की कुछ आवश्यक आवश्यकता के साथ संघर्ष करता है जिसे विधानमंडल ने कभी भी ओवरबोर्ड नहीं करना चाहता था। इसी तरह, कर चोरी को रोकने के लिए

अधिनियमित कर कानून के प्रावधानों में कर को दबाने के उद्देश्य को प्रभावी बनाने के लिए एक उदार संरचना दी गई है।

चोरी हालांकि एक आरोप लगाने वाले प्रावधानों का अर्थ लगाया जाता है

कर का भुगतान करने के लिए कोई प्राथमिक दायित्व नहीं है और एक प्रभार अनुभाग का उद्देश्य केवल अपनी स्पष्ट शर्तों के भीतर लाए गए व्यक्तियों और गतिविधियों पर शुल्क लगाना है। इसी कारण से, रक्षा सेवाओं से संबंधित एक कानून में "राज्य की सुरक्षा और उच्च स्तर के अनुशासन के प्रवर्तन के विचार अतिरिक्त रूप से हस्तक्षेप करते हैं और किसी भी अभिव्यक्ति को परिभाषित करने की आवश्यकता या किसी भी प्रावधान से निपटने के लिए महत्व दिया जाना चाहिए।

व्याख्या करने की आवश्यकता है।

अधिनियम के विभिन्न भागों में उपयोग किए गए समान शब्दों के निहित अर्थ हो सकते हैं। जैसा कि न्यायमूर्ति जी. पी. सिंह टिप्पणी करते हैं:

कानून की धाराएँ या विभिन्न स्थानों पर उपयोग किए जाने पर भी एक ही खंड या कानून की धारा में अलग-अलग हो सकता है

अर्थ। निष्कर्ष यह है कि द्वारा उपयोग की जाने वाली भाषा

विधानमंडल सादा या अस्पष्ट है, केवल समग्र रूप से क़ानून का अध्ययन करके ही सही मायने में पहुँचा जा सकता है। कानून का प्रत्येक घटक भाग दूसरे के अर्थ को कितनी दूर और किस हद तक प्रभावित करता है।

प्रत्येक मामले में भाग अलग होगा।

लेकिन PHOENIX ARC प्राइवेट लिमिटेड v का प्रभाव। क्षेत्रीय वित्तीय सेवाएं सीमित और ओ. आर. एस. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

किसी विशेष मामले में नियम के लागू होने को भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए इसे लागू करने की वैधता के साथ "।

(जोर दिया गया)

86. इस संदर्भ में, पहले के किसी निर्णय का उल्लेख करना उपयोगी होगा।

अभय सिंह चौटाला बनाम C.B.I.28 के मामले में, जहां अदालत ने प्रेजेंटी में "है" शब्द की व्याख्या नहीं की क्योंकि इससे एक बेतुका परिणाम निकलेगा, जो संबंधित प्रावधान के उद्देश्य को विफल कर देगा।

उस मामले में इस न्यायालय को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 की धारा 19 (1) की व्याख्या करनी थी, जिसमें प्रावधान किया गया था:

" 19. अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी आवश्यक है। (1) कोई भी अदालत दंडनीय अपराध का संज्ञान नहीं लेगी।

धारा 7,10,11,13 और 15 कथित रूप से एक

लोक सेवक, पिछली मंजूरी को छोड़कर, - (क) एक व्यक्ति के मामले में जो इस संबंध में कार्यरत है -

संघ के मामले और उसके कार्यालय से हटाने योग्य नहीं है केंद्र सरकार द्वारा या उसकी मंजूरी के साथ,

सरकार; (ख) एक व्यक्ति के मामले में जो इसके संबंध में कार्यरत है

किसी राज्य के मामले और उसके कार्यालय से हटाने योग्य नहीं है सिवाय इसके कि

या उस सरकार की राज्य सरकार की मंजूरी के साथ;

(ग) किसी अन्य व्यक्ति के मामले में, सक्षम प्राधिकारी का उसे उसके कार्यालय से हटा दें।

(जोर दिया गया)

87. इस न्यायालय के समक्ष यह तर्क दिया गया था कि एक शाब्दिक व्याख्या

धारा 19 (1) को दिया जाना चाहिए। चूंकि "है" शब्द का उपयोग उप-धाराओं (ए), (बी) और (सी) में किया गया है, इसलिए यह आग्रह किया गया था कि यह एक ऐसे लोक सेवक को बाहर कर देगा जिसने पहले किसी समय पद का दुरुपयोग किया था और अब उस पद पर कब्जा करना बंद कर दिया है। इस न्यायालय ने न्यायमूर्ति सिरपुरकर के माध्यम से बोलते हुए तर्क को खारिज कर दिया और कहा:

" 44 ..... हम उप में "है" शब्द के आधार पर तर्क को अस्वीकार करते हैं।

धारा (ए), (बी) और (सी)। यह सच है कि अनुभाग में काम करता है

तथापि, अनुभाग एक ऐसे व्यक्ति पर विचार करता है जो

संज्ञान लेने की तारीख को भी लोक सेवक बना रहता है।

हालाँकि, व्याख्या के अनुसार, यह एक ऐसे व्यक्ति को बाहर करता है जिसके पास है

आवश्यक निहितार्थ द्वारा, उस पद के अलावा किसी अन्य पद का दुरुपयोग किया जो वह संज्ञान लेने की तारीख को धारण कर रहा है। एक बार यह स्पष्ट हो जाने पर, वर्तमान मामले में शाब्दिक व्याख्या की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए, जबकि हम रॉबर्ट विग्राम क्रॉफर्ड बनाम में निर्धारित सिद्धांतों से सहमत हैं। रिचर्ड स्पूनर 4 एम. आई. ए. 17 9, रे बेदिया बनाम। जनरल एक्सीडेंट, एफ. आई. आर. एंड लाइफ एस्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड 1948 (2) ऑल ई. आर. 995 और बॉर्न (कर निरीक्षक) v. नॉर्विच श्मशान Ltd.1967 (2) सभी ईआर 576, हम विशेष रूप से मानते हैं कि धारा को शाब्दिक व्याख्या देने से बेतुका और कुछ अवांछित परिणाम मिलेंगे, जैसा कि पहले ही अंतुले के मामले में बताया जा चुका है (ऊपर उद्धृत) (जोर देखें

अंतुले के फैसले के पैरा 24 को प्रदान किया गया) "।

88. इस न्यायालय ने आर. एस. नायक बनाम के फैसले पर भरोसा किया। ए आर रोकथाम की धारा 19 (1) की अपनी व्याख्या को मजबूत करने के लिए रखा गया था

पी. टी. एन. अधिनियम, 1947:

" 24 ..... विद्वान वकील के सामने एक दृष्टान्त प्रस्तुत किया गया कि एक मंत्री, जो निर्विवाद रूप से एक लोक सेवक है, ने मंत्री के रूप में अपने पद का दुरुपयोग करके अपनी हथेलियों पर चिकनाई की, और फिर अदालत के समक्ष पद धारण करना बंद कर दिया, उसके खिलाफ अपराध का संज्ञान लेने के लिए बुलाया गया और इसलिए, धारा 6 द्वारा अनुध्यात मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी; लेकिन यदि अपराध करने के बाद और अपराध का संज्ञान लेने की तारीख से पहले, वह एक नगर अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, जिसमें वह संबंधित नगर निगम कानून के तहत एक लोक सेवक था, और उस तारीख को उस पद पर था जिस पर अदालत ने एक मंत्री के रूप में उसके द्वारा किए गए अपराध का संज्ञान लेने के लिए आगे बढ़ना शुरू किया था, तो एक मंजूरी आवश्यक होगी और वह भी उस सक्षम प्राधिकारी की, जो उसे मंत्री के पद से हटाने के लिए सक्षम था। इसका जवाब था -

सकारात्मक रूप से। लेकिन यह चित्रण ही दिखाएगा कि ऐसा कानून नहीं हो सकता है। धारा 6 की ऐसी व्याख्या

इसे एक बेईमान लोक सेवक के लिए ढाल के रूप में प्रस्तुत करें।

रक्षा करने में रुचि रखने वाला कोई व्यक्ति उसे एक से स्थानांतरित कर सकता है। लोक सेवक का पद दूसरे को दिया जाता है और इस प्रकार पराजित किया जाता है

कानून की प्रक्रिया। कोई भी वैध रूप से ऐसी स्थिति की कल्पना कर सकता है जिसमें

एक व्यक्ति एक दर्जन अलग-अलग पद धारण कर सकता है, प्रत्येक व्यक्ति उसे आई. पी. सी. की धारा 21 के तहत एक लोक सेवक का दर्जा दे सकता है और भले ही उसने केवल एक पद का दुरुपयोग किया हो जिसके लिए या तो उस पर मुकदमा चलाने के लिए वैध मंजूरी है या उसने उस पद को धारण करना बंद कर दिया है।

क्षेत्रीय वित्तीय सेवाएँ और ओ. आर. एस. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

उस समय तक अदालत को संज्ञान लेने के लिए कहा गया था, फिर भी इस पर

प्रत्येक 11 अलग-अलग सक्षम प्राधिकरणों की धारणा, मंजूरी

ऐसे लोक सेवक द्वारा किया गया अपराध/एक पद का दुरुपयोग करते हुए जिसे शायद उसने पकड़ना बंद कर दिया होगा। इस तरह की व्याख्या

निर्माण के सभी नियमों के विपरीत और एक बेतुका की ओर ले जाता है

और जिन उत्पादों से बचना आवश्यक है। विधान

हर कीमत पर इस तरह से व्याख्या की जानी चाहिए कि यह नहीं होगा

एक रूग के चार्टर के रूप में काम करें "।

(जोर दिया गया)

89. इस अदालत ने धारा की उद्देश्यपूर्ण व्याख्या को मंजूरी दे दी है।

आर्सेलर मित्तल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम आई. बी. सी. सतीश

आर गुप्ता (ऊपर), जहाँ यह देखा गया था कि:

" 29 ..... सुश्री एरा में डॉ. मंजुला क्रिपेंडॉर्फ बनाम के माध्यम से। राज्य

(एन. सी. टी. दिल्ली सरकार) और ए. एन. आर. , (2017) 15 एस. सी. सी. 133, यह न्यायालय,

शाब्दिक निर्माण के सुनहरे नियम का उल्लेख करने के बाद, और इसके

हेडन के मामले में पुराने समकक्ष "वस्तु नियम", को संदर्भित किया गया

रचनात्मक व्याख्या का सिद्धांत इस प्रकार है:

122. रचनात्मक व्याख्या के उदाहरण तब होते हैं जब न्यायालय देखता है

शाब्दिक भाषा के साथ-साथ इसके उद्देश्य या उद्देश्य दोनों पर

कानून द्वारा उपयोग किए गए शब्दों को बेहतर ढंग से निर्धारित करने के लिए

कानून के प्रारूपक का अर्थ है। डी. आर. वेंकटचलम बनाम परिवहन कॉम. [डी. आर. वेंकटचलम बनाम ट्रांसपोर्ट कम्र. , (1977) 2 एससीसी

273 , एकर एकटा प्रारंभिक उदाहरण सहमत निर्णयमे पाओल जाइत अछि।

बेग, जे. के विद्वान न्यायाधीश ने इसे अच्छी तरह से रखा जब उन्होंने कहा: (एस. सी. सी पी. 287, पैरा 28):

" 28. हालाँकि, शुरुआत में यह तेजी से फैशनेबल होता जा रहा है।

एक प्रावधान या एक अध्याय या एक में क्या बुनियादी है का कुछ सिद्धांत

कानून या यहाँ तक कि हमारे संविधान की व्याख्या करने के लिए और

किसी विशेष प्रावधान या नियम का अर्थ निर्धारित करना

एक अनुमानित "बुनियादी" आवश्यकता को पूरा करें। मुझे लगता है कि यह उपन्यास

निर्माण की विधि, अगर मैं ऐसा कह सकता हूं, तो गाड़ी से पहले

घोड़ा। यह हमें गंभीरता से गुमराह करने के लिए उपयुक्त है जब तक कि उपयोग करने की प्रवृत्ति न हो इस न्यायालय द्वारा निर्माण के ऐसे तरीके की जाँच या सुधार किया जाता है।

कानून में किसी धारा या अध्याय के लिए जो बुनियादी है, वह प्रदान किया गया है: सबसे पहले, क़ानून में ही उपयोग किए गए शब्दों द्वारा; दूसरा, [2021] 15 एस. सी. आर. द्वारा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जिस संदर्भ में कोई प्रावधान होता है, या, दूसरे शब्दों में, कानून को समग्र रूप से पढ़कर; तीसरा, प्रस्तावना द्वारा जो अनिश्चितता या संदेह के मामलों में कानून के अर्थ के लिए "कुंजी" प्रदान कर सकती है; और चौथा, जहां अनिश्चितता को हल करने के लिए निर्माण के लिए कुछ और सहायता की आवश्यकता हो सकती है, विधायी इतिहास द्वारा जो व्यापक संदर्भ या परिप्रेक्षय को प्रकट करता है जिसमें किसी विशेष आवश्यकता को पूरा करने या किसी विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रावधान किया गया था। अंतिम उल्लिखित विधि में शामिल हैं -

हेडन मामले में निर्धारित शरारत नियम का अनुप्रयोग [हेडन मामला, (1584) 3 सह प्रतिनिधि 7a: 76 ई. आर. 637] बहुत पहले।

127. इस प्रकार यह अंग्रेजी, यू. एस., ऑस्ट्रेलियाई के पढ़ने पर स्पष्ट है।

रेखा को वास्तव में इससे दूर जाने के लिए बढ़ाया गया है व्याख्या का कड़ाई से शाब्दिक नियम के नियम पर वापस

हेडन का पुराना अंग्रेजी मामला [हेडन मामला, (1584) 3 को प्रतिनिधि 7a: 76 ई. आर. 637], जहाँ न्यायालय के पास सहारा होना चाहिए।

किसी विशेष के उद्देश्य, उद्देश्य, पाठ और संदर्भ के लिए

न्यायिक परिणाम पर पहुँचने से पहले प्रावधान। वास्तव में, चक्र

पूरा चक्कर लगा दिया है। यह नियम द्वारा शुरू हुआ जैसा कि 1584 में कहा गया था। हेडन मामले में [हेडन मामले में, (1584) 3 सह प्रतिनिधि 7a: 76 ईआर 637],

जिसे तब निर्धारित शाब्दिक व्याख्या नियम द्वारा बाधित किया गया था 1800 के दशक के मध्य में प्रिवी काउंसिल और हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा,

और कुछ हद तक नियम को दोहराने के लिए वापस आ गया है

400 साल पहले हेडन में सबसे अधिक सम्मानपूर्वक क्या रखा गया था

मामला [हेडन मामला, (1584) 3 सह प्रतिनिधि 7a: 76 ईआर 637]। 30. धारा 29 ए की एक उद्देश्यपूर्ण व्याख्या, दोनों के आधार पर

पाठ और उस संदर्भ में जिसमें प्रावधान अधिनियमित किया गया था, इसलिए, उसी की हमारी व्याख्या को सूचित करें।

(जोर दिया गया)

90. इसलिए, हमें पहले के अर्थ पर विचार करने की आवश्यकता होगी।

उस संदर्भ, उद्देश्य और उद्देश्य के आलोक में परंतुक जिसके लिए इसे अधिनियमित किया गया था। सी. ओ. सी. से किसी निगमित देनदार के संबंधित पक्ष को बाहर करने का उद्देश्य हितों के टकराव को दूर करना है जो उस स्थिति में उत्पन्न होने की संभावना है जब किसी संबंधित पक्ष को सी. ओ. सी. का हिस्सा बनने की अनुमति दी जाती है। बहिष्करण के अंतर्निहित तर्क को निम्नलिखित रूप में संक्षेपित किया गया है:

29 दिवाला विधि समिति रिपोर्ट, 2020, पीपी 47-48, पैरा 11.9।

फीनिक्स ए. आर. सी. प्राइवेट लिमिटेड वी. क्षेत्रीय वित्तीय सेवाएं सीमित और ओ. आर. एस. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

" समिति का विचार था कि धारा 21 (2) के पहले प्रावधान के तहत अक्षमता का उद्देश्य सी. ओ. सी. के भीतर किसी भी हितों के टकराव को दूर करना है, ताकि पूर्ववर्ती प्रवर्तकों और अन्य संबंधित लोगों को रोका जा सके। निगमित देनदार
के पक्षों को नियंत्रण प्राप्त करने से

सी. आई. आर. पी. के दौरान निगमित देनदार किसी भी ऋण के आधार पर जो उनके द्वारा प्रदान किया गया हो।

श्री विश्वनाथन के प्रस्तुतिकरण को स्वीकार करने से सी. आई. आर. पी. शुरू होने तक एक संबंधित पक्ष के रूप में इसकी स्थिति को अस्वीकार करने का प्रभाव रखने वाले वाणिज्यिक षडयंत्रों का निर्माण करने वाले कॉर्पोरेट देनदार के संबंधित पक्ष द्वारा वैधानिक प्रावधान को विफल करने की अनुमति मिलेगी। यह निर्धारित करने के लिए कि धारा 21 (2) के पहले परंतुक में अपवर्जन लागू होता है या नहीं, सही परीक्षण को इस तरह से तैयार किया जाना चाहिए जो क़ानून के उद्देश्य और उद्देश्य को आगे बढ़ाएगा और इसके प्रावधानों को कपटपूर्ण रणनीतियों से पराजित नहीं करेगा।

91. इसलिए, यह कहा जा सकता है कि जहां एक वित्तीय लेनदार ऋण के आधार पर सी. ओ. सी. पर एक स्थिति चाहता है जो बनाया गया था।

जब वह निगमित देनदार का एक संबंधित पक्ष था, तो बहिष्करण जो धारा 21 (2) के पहले परंतुक द्वारा बनाया गया है, लागू होना चाहिए। क्योंकि, यह धारा 5 (8) में परिभाषित वित्तीय ऋण के बल पर है कि एक इकाई

धारा 5 (7) के तहत वित्तीय लेनदार के रूप में दावा करने वाला धारा 21 (2) के तहत सी. ओ. सी. पर स्थिति चाहता है। यदि धारा 5 (24) के तहत 'संबंधित पक्ष' की परिभाषा उस समय लागू होती है जब ऋण बनाया गया था, तो धारा 21 (2) के पहले परंतुक में अपवर्जन आकर्षित होगा।

92. हालाँकि, यदि ऐसी व्याख्या धारा 21 (2) के पहले परंतुक को दी जाती है, तो सभी वित्तीय लेनदार बाहर रहेंगे यदि वे

जब वित्तीय ऋण बनाया गया था, उस समय वे निगमित देनदार के 'संबंधित पक्ष' थे। यह यकीनन उन संस्थाओं के लिए बेतुका निष्कर्ष निकाल सकता है जिन्होंने वैध रूप से संबंधित पक्षों के ऋण पर कब्जा कर लिया है, या जहां संबंधित पार्टी इकाई ने लंबे समय से 'संबंधित पक्ष' होना बंद कर दिया था।

इससे पहले।

93. इस संबंध में, 2020 की दिवाला विधि समिति की रिपोर्ट में पात्रता को स्पष्ट करने वाली टिप्पणियों पर ध्यान देना प्रासंगिक है - तृतीय-संबंधित पक्ष के लेनदार के ऋण के लिए नियुक्त व्यक्ति, सी. ओ. सी. के सदस्य होने के लिए। यह देखा गया:

" 11.09 ..... तीसरे पक्ष द्वारा नियुक्त व्यक्ति के रूप में, जो अपने आप में एक संबंधित पक्ष नहीं है, उसके हितों का ऐसा कोई टकराव नहीं होगा, उसे सी. ओ. सी. में भाग लेने से अक्षम नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा, उपरोक्त [2021] 15 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अक्षमता स्वयं ऋण से संबंधित नहीं है, बल्कि इस पर आधारित है एक संबंधित पक्ष लेनदार के बीच मौजूद संबंध और

निगमित ऋणी। इसलिए, जैसा कि अक्षमता के तहत लगाया गया है

धारा 21 (2) का पहला प्रावधान संबंधित पक्ष से संबंधित है।

वित्तीय लेनदार और ऋण के लिए नहीं, समिति इस बात से सहमत हैं कि यह स्पष्ट है कि जब कोई संबंधित पक्ष वित्तीय लेनदार

सद्भावना से किसी तीसरे पक्ष को अपना ऋण सौंपता है, ऐसा तीसरा पक्ष

भाग लेने, मतदान करने या होने के लिए अयोग्य नहीं होना चाहिए

सी. ओ. सी. की एक बैठक में प्रतिनिधित्व किया।

11.10 . हालाँकि, समिति ने चर्चा की कि कुछ

मामलों में, एक संबंधित पक्ष लेनदार अपने ऋणों को निर्धारित कर सकता है

अधिरोपित अक्षमता को दरकिनार करने का इरादा अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेकर धारा 21 (2) का पहला परंतुक

नियुक्तकर्ता के माध्यम से सी. ओ. सी. में। एक संबंधित पक्ष के रूप में है

सी. ओ. सी. में भाग लेने से स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित, यह नहीं कर सकता है ऐसा अप्रत्यक्ष रूप से किसी तीसरे पक्ष को अपना ऋण सौंपकर करें।

इस प्रतिबंध को दरकिनार करने के उद्देश्य से।

समाधान पेशेवर को यह सत्यापित करना चाहिए कि नियुक्तकर्ता है निगमित देनदार का कोई संबंधित पक्ष नहीं। जिन मामलों में

यह साबित किया जा सकता है कि किसी संबंधित पक्ष के वित्तीय लेनदार ने

खराब स्थिति में अपने ऋण किसी तीसरे पक्ष को सौंपा या हस्तांतरित किया गया

विश्वास या कार्यवाही को दूषित करने के धोखाधड़ी के इरादे से

संहिता के तहत, समनुदेशिती के साथ एक के समान व्यवहार किया जाना चाहिए

पहले परंतुक के तहत संबंधित पक्ष वित्तीय लेनदार धारा 21 (2) "।

(जोर दिया गया)

94. इस प्रकार, यह स्पष्ट किया गया है कि पहले के तहत बहिष्करण

धारा 21 (2) का परंतुक स्वयं ऋण से संबंधित नहीं है, बल्कि संबंधित पक्ष वित्तीय लेनदार और वित्तीय लेनदार के बीच मौजूद संबंध से संबंधित है।

निगमित देनदार। इस प्रकार, वित्तीय लेनदार जो वास्तव में एक संबंधित पक्ष नहीं है, उसे सी. ओ. सी. का सदस्य होने से प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा। हालांकि, ऐसे मामले में जहां संबंधित पक्ष वित्तीय लेनदार अपनी हिस्सेदारी से खुद को अलग कर लेता है या सी. ओ. सी. में भाग लेने और सी. आई. आर. पी. में तोड़फोड़ करने के एकमात्र इरादे के साथ एक व्यावसायिक क्षमता में एक संबंधित पक्ष बनना बंद कर देता है, अन्य लेनदारों के वोट शेयर को कम करके या अन्यथा, वह ए. आर. सी. प्राइवेट लिमिटेड v.

क्षेत्रीय वित्तीय सेवाएं सीमित और ओ. आर. एस. [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

धारा 21 (2) के पहले परंतुक के उद्देश्य और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, पूर्व संबंधित पक्ष लेनदार को पहले परंतुक के तहत प्रतिबंधित माना जाएगा।

95. इसलिए, जबकि धारा 21 (2) के पहले परंतुक के तहत डिफ़ॉल्ट नियम यह है कि केवल वे वित्तीय लेनदार जो संबंधित पक्ष हैं।

प्रेजेंटी को सी. ओ. सी., उन संबंधित पक्ष वित्तीय लेनदारों से वंचित कर दिया जाएगा जो संबंधित पक्षों को दरकिनार करने के लिए संबंधित पक्ष नहीं हैं।

धारा 21 (2) के पहले परंतुक के तहत अपवर्जन को भी इसके तहत अपवर्जन के दायरे में माना जाना चाहिए। श्री कौल ने तर्क दिया है,

हमारी राय में सही है कि यदि यह व्याख्या धारा 21 (2) के पहले प्रावधान को नहीं दी गई है, तो एक संबंधित पक्ष वित्तीय लेनदार कॉर्पोरेट के सामने 'संबंधित पक्ष' के अपने लेबल को हटाने के लिए एक तंत्र तैयार कर सकता है। देनदार सी. आई. आर. पी. से गुजरता है, ताकि वह सी. ओ. सी. में प्रवेश कर सके और अन्य वित्तीय लेनदारों की कीमत पर इसके निर्णय लेने को प्रभावित कर सके।

96. वर्तमान मामले में, एक निष्कर्ष है कि एएए और स्पेड उस समय धारा 5 (24) के अर्थ के भीतर संबंधित पक्ष थे जब कथित वित्तीय ऋण, जिसके आधार पर वे सीओसी का हिस्सा होने का दावा करते हैं, बनाया गया था। यह श्री अरुण आनंद और श्री अनिल नंदा के बीच लंबे समय से चले आ रहे संबंधों के कारण था।

संबंधित निगम। मान लीजिए, 2017 में भी इस तरह के संबंध मौजूद थे, क्योंकि श्री अनिल नंदा की जे. आई. पी. एल. की श्री अरुण में हिस्सेदारी थी।

आनंद की कुदाल। इसके अलावा, हमने यह भी निष्कर्ष निकाला है कि एक ओर स्पेड और एएए और दूसरी ओर कॉर्पोरेट देनदार के बीच लेनदेन, जिसने उनके कथित वित्तीय ऋणों को जन्म दिया, प्रकृति में सांठगांठ वाले थे। इसलिए, यह स्पष्ट है कि कथित वित्तीय ऋण उत्पन्न होने पर स्पेड, एएए और कॉर्पोरेट देनदार के बीच एक गहरा उलझा हुआ संबंध था। हालांकि संबंधित पक्षों के रूप में उनकी स्थिति अब नहीं रह सकती है, हम श्री कौल से सहमत हैं कि यह वाणिज्यिक साजिशों के कारण था जिसके माध्यम से ये संस्थाएं अब सी. ओ. सी. में प्रवेश करना चाहती हैं। इन संस्थाओं पर श्री अनिल नंदा (निगमित ऋणदाता के प्रवर्तक/निदेशक) का व्यापक प्रभाव स्पष्ट है, और उन्हें सी. ओ. सी. में अनुमति देने से निश्चित रूप से अन्य स्वतंत्र वित्तीय ऋणदाता प्रभावित होंगे।

जे निष्कर्ष 97. अंत में, हम मानते हैं कि:

(1) एन. सी. एल. ए. टी. के निर्णय को, जितना उसने स्पेड और ए. ए. ए. को वित्तीय लेनदारों के रूप में संदर्भित किया है, अलग कर दिया गया है।

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

उनके कथित लेन-देन की मिली-जुली प्रकृति

धारा 5 (8), स्पेड और एएए के तहत वित्तीय ऋण को धारा 5 (7) के तहत वित्तीय लेनदारों के रूप में लेबल किया जाना चाहिए।

एन. सी. एल. ए. टी. का निर्णय, जितना कि यह स्पेड और ए. ए. ए. को कॉर्पोरेट के संबंधित पक्षों के रूप में संदर्भित करता है।

धारा 5 (24) के तहत पुष्टि की जाती है; और

एन. सी. एल. ए. टी. के निर्णय की, धारा 21 (2) के पहले के अनुसार सी. ओ. सी. से जितना उसे और ए. ए. ए. को बाहर रखा गया है, पुष्टि की जाती है, लेकिन इन कारणों से

ऊपर।

अपीलों का तदनुसार निपटारा किया जाता है।समाप्ति आवेदन (ओं), यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया जाता है।

याचिकाएं दायर

2021 का अंत

****